



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANJAR HUSAINAIN S/O LATE MD UMAR

पता A.32/14-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260025-- Property Id. 1A321389004

Latitude 25.32428034190

Longitude 83.02168468590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/14-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,376.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 570,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,627.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,627.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	289.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASIRUDDIN S/O ABDUL SATTAR

पता A.32/21-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260013-- Property Id. 1A321393001

Latitude 25.32437370420

Longitude 83.02153040150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/21-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,084.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,206.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,206.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,673.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KARIMUDDIN

पता A.32/21 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260012-- Property Id. 1A321393002

Latitude 25.32437370420

Longitude 83.02153040150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,742.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,424.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,424.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	487.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYYADA BIBI W/O MASUDUL HASAN, MASUDUL HASAN S/O

पता A.32/14+A.32/14-B-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260015-- Property Id. 1A321395001

Latitude 25.32434274030

Longitude 83.02169887070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/14+A.32/14-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,483.0** व सामान्य कर **493.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,476.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MODH.IKRAM S/O MOHD HANIF

पता A.32/16-M-I Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9918266783

MIS Id. 07320548-- Property Id. 1A321396001

Latitude 25.32459105730

Longitude 83.02161695770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/16-M-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,741.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,741.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	852.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIYAJ AHAMAD S/O LATE NEK MOHD

पता A.32/17-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320546-- Property Id. 1A321397001

Latitude 25.32455649550

Longitude 83.02154082660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/17-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **25,678.0** व सामान्य कर **2,825.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 6000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,041.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISHTEYAK AAHMAD & JAKIYA BIBI S/O D/O MOINUDDIN

पता A.32/17 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9305562771

MIS Id. 07320545-- Property Id. 1A321398001

Latitude 25.32454683280

Longitude 83.02147287610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,442.0** व सामान्य कर **1,369.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,824.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,824.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,521.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFI UDDIN S/O AMANTULL

पता A.32/18-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320536B Property Id. 1A321398002

Latitude 25.32454683280

Longitude 83.02147287610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/18-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,318.0** व सामान्य कर **365.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	816.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 756,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMNA BIBI W/O SHARFUDDIN, MURTJA GULJAR AHAMAD,
पता A.32/18-K Chhittanpura
नया वार्ड W080 Omkaleshvar पुराना वार्ड W082 मोबाईल नं०
MIS Id. 07320536A Property Id. 1A321399001 Latitude 25.32453740270 Longitude 83.02135159670

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/18-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,318.0** व सामान्य कर **365.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RESHMA BANO W/O QASIM AHAMED

पता A.32/18 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320536-- Property Id. 1A321399002

Latitude 25.32453740270

Longitude 83.02135159670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **887.0** व सामान्य कर **98.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	752.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 666,C= 90	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	533.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,391.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,391.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	483.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SARIF S/O HAZI MOHAMMAD

पता A.32/19 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260011-- Property Id. 1A321400001

Latitude 25.32442950350

Longitude 83.02136968670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,983.0** व सामान्य कर **438.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,004.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,004.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	770.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HANIF S/O MOHD KASHIM

पता A.32/19-A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260009-- Property Id. 1A321400002

Latitude 25.32442950350

Longitude 83.02136968670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/19-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,696.0** व सामान्य कर **297.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,718.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,977.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,977.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	547.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YUSUF S/O LATE HAVIVULLA

पता A.32/23 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260006-- Property Id. 1A321401001

Latitude 25.32432831790

Longitude 83.02128993630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,526.0** व सामान्य कर **168.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN,KAMRUDDIN,ABDUL HAMID SS/O HAZI ABDUL

पता A.32/24 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260004-- Property Id. 1A321402001

Latitude 25.32420523160

Longitude 83.02126630040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,212.0** व सामान्य कर **793.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	644.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1932,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,546.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,903.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,903.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	979.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUKH S/O MD.FAKBAR,MAIMUNNISA W/O MOHD FARUKH

पता A.32/27 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6388282997

MIS Id. 07260041-- Property Id. 1A321407001

Latitude 25.32409922320

Longitude 83.02106736210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,441.0** व सामान्य कर **489.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,170.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 870,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	696.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,697.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,697.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,057.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURJAHAN W/O NIJAMUDDIN & MOHAMMAD YASIN MINOR U/G

पता A.27/68-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270076-- Property Id. 1A321407002

Latitude 25.32409922320

Longitude 83.02106736210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.27/68-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,609.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,374.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,654.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,654.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	292.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD EKRAM S/O AMIR HASAN

पता A.32/10-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260042-- Property Id. 1A321408001

Latitude 25.32398375110

Longitude 83.02104689920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/10-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,204.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 944,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	755.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,272.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,272.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	580.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUL HASAN,NURUL HASAN,YUNUS SS/O AMIRULLA

पता A.32/6-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260047-- Property Id. 1A321409001

Latitude 25.32396788550

Longitude 83.02120037390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/6-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,196.0** व सामान्य कर **682.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,061.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,963.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,963.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	876.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIR, SARIF, HANIF, ASHIM BIBI, AJIMUNNISA, SURAIYA BIBI

पता A.32/8 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260039-- Property Id. 1A321411001

Latitude 25.32405367360

Longitude 83.02131861340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	425.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 975, C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	780.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,181.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,181.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,110.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN, MOHD MUSA ANSARI S/O MOHD UMAR, JAHIRUDDIN,
पता A.32/4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260037-- Property Id. 1A321412001

Latitude 25.32405772530

Longitude 83.02142253890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,551.0** व सामान्य कर **611.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN, MOHD MUSA ANSARI S/O MOHD

पता A.32/3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260036-- Property Id. 1A321413001

Latitude 25.32405615580

Longitude 83.02150198670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,816.0** व सामान्य कर **860.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400, C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,811.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,811.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,472.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISAHAK S/O RAJJAB

पता A.32/2-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260034-- Property Id. 1A321414001

Latitude 25.32407011830

Longitude 83.02163543610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,696.0** व सामान्य कर **297.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,368.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,368.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,140.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISLAM.ABDUL MATIN SS/O RAMAJAN ALI

पता A.32/12 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260029-- Property Id. 1A321415001

Latitude 25.32412769740

Longitude 83.02173222380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AYUB S/O ALI HUSSAIN

पता A.32/1-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335286976

MIS Id. 07260031-- Property Id. 1A321416001

Latitude 25.32404412450

Longitude 83.02178299490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/1-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,526.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,526.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,148.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUDA BAKSA

पता A.32/1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260030-- Property Id. 1A321417001

Latitude 25.32404167580

Longitude 83.02171344430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **936.0** व सामान्य कर **103.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 640,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,533.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,533.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,479.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IRFANA BIBI D/O MOHD YAKUB

पता A.32/16-V Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320581-- Property Id. 1A321418001

Latitude 25.32460216820

Longitude 83.02171724460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/16-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,723.0** व सामान्य कर **520.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,057.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 736,C= 344	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	589.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,545.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,545.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYADA BIBI W/O MOHD

पता A.32/13 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8299769816

MIS Id. 07260028-- Property Id. 1A321420001

Latitude 25.32416797370

Longitude 83.02161308860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 300,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,768.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAM S/O MOHD HANIF

पता A.32/15 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7784815507

MIS Id. 07260016-- Property Id. 1A321425001

Latitude 25.32443374610

Longitude 83.02169874370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1360,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,088.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,267.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,267.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	689.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISHA KHARIDAR, VALI MOHD ALIES CHHEDI

पता A.32/20 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7499520651

MIS Id. 07260014-- Property Id. 1A321427001

Latitude 25.32444081180

Longitude 83.02153749940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,125.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1125, C= 1125	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	900.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	60,264.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	60,264.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHMAN, KHAIRUNNISA W/O ABDUL RAHAMAN, ABDUL HAQ

पता A.32/22 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260026-- Property Id. 1A321428001

Latitude 25.32419857920

Longitude 83.02136783930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,902.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,902.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,419.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHMAD,TAHIRA BIBI,NAJMA BIBI,SAFIYA BIBI S/O DD/O LATE

पता A.32/23-A+23-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8687948565

MIS Id. 07260007-- Property Id. 1A321429001

Latitude 25.32432395770

Longitude 83.02136151930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/23-A+23-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,669.0** व सामान्य कर **404.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,686.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,686.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	405.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAKIL AHMAD, RAMJAN ALI, AASIK JAMAL, SHAHANA BIBI SS/O D/O

पता A.32/8-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260039B Property Id. 1A321432001

Latitude 25.32412329830

Longitude 83.02125666900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	425.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 850, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,917.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,917.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	431.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN,MUSA,MOHD ANSARI S/O MOHD

पता A.32/9 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260038-- Property Id. 1A321433001

Latitude 25.32405533500

Longitude 83.02128588680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,446.0** व सामान्य कर **489.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHANDI HASAN S/O MOHD KHALIL

पता A.32/8-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260075-- Property Id. 1A321434001

Latitude 25.32405796650

Longitude 83.02125252190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/8-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	374.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 220,C= 220	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,785.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,785.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,296.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM, ABDUL KALAM, REHAN BIBI, AMBIYA BIBI W/O LATE

पता A.32/10 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8933884057

MIS Id. 07260040-- Property Id. 1A321435001

Latitude 25.32406155750

Longitude 83.02120981580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,021.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1350, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD YUNUS S/O AMIRULLA

पता A.32/7-A+7-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260043-- Property Id. 1A321437001

Latitude 25.32393432070

Longitude 83.02109465020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/7-A+7-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	506.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2024,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,619.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,327.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,327.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,026.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT KAMRUNISHA W/O HASAMTULLA,KAMRUDDIN,FAKHRUDDIN,
पता A.26/19-A Chhittanpura
नया वार्ड W080 Omkaleshvar पुराना वार्ड W082 मोबाईल नं०
MIS Id. 07260045-- Property Id. 1A321438001 Latitude 25.32399134370 Longitude 83.02111908570

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.26/19-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **1,984.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	192.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 384,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	307.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	268.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUL HASAN S/O LATE AMIRULLA

पता A.32/7 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260044-- Property Id. 1A321438002

Latitude 25.32399134370

Longitude 83.02111908570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,535.0** व सामान्य कर **169.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Md. Suhail, Ayub Ansari

पता A.32/5-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260048A Property Id. 1A321439001

Latitude 25.32405485730

Longitude 83.02157240170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,024.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3072, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,458.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,695.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,695.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,946.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSHER AHAMD S/O ALIMULLA

पता A.32/2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260032-- Property Id. 1A321440001

Latitude 25.32402957080

Longitude 83.02163566940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	340.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O MOHD KAYUM, MOHD FARUKH, YAKUB, LAILUNNISA

पता A.32/30 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270071-- Property Id. 1A321442001

Latitude 25.32430555400

Longitude 83.02099748270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,534.0** व सामान्य कर **1,379.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6000, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,041.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAKIL AHMAD,IKBAL AHMAD SS/O ABDUL GANI

पता A.32/29-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270073-- Property Id. 1A321442002

Latitude 25.32430555400

Longitude 83.02099748270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/29-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,824.0** व सामान्य कर **1,521.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 5400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,104.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,104.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,421.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL MOHD, MOHD VARISH

पता A.32/28-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270058-- Property Id. 1A321443002

Latitude 25.32433124750

Longitude 83.02066070710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/28-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,034.0** व सामान्य कर **554.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	922.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1104, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	883.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,087.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,087.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	560.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGATA BIBI W/O LATE FATEH MOHD, ABDUL HASHAN, MOHD

पता A.32/31 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320534-- Property Id. 1A321444002

Latitude 25.32435137910

Longitude 83.02107875770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,776.0** व सामान्य कर **305.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	330.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 660, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	528.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,041.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,041.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	335.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISARUL HAQ S/O HAFIJ MOHD ISMAIL

पता A.32/29 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270074-- Property Id. 1A321445001

Latitude 25.32430716080

Longitude 83.02088897690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/29 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,912.0** व सामान्य कर **760.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,711.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGATA BIBI W/O LATE FATEH MOHD, MOHD SARIF MOHD

पता A.32/31 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270069-- Property Id. 1A321447002

Latitude 25.32439784850

Longitude 83.02107431110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,502.0** व सामान्य कर **935.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1680, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	958.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HANIF S/O MATIULLA

पता A.32/31-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270068-- Property Id. 1A321450001

Latitude 25.32445367510

Longitude 83.02107915750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/31-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,442.0** व सामान्य कर **1,369.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	728.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2184,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,747.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,580.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,580.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,384.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUL HASAN, ABDUL HASAN SS/O LATE SALAMTULLA

पता A.32/30-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270061-- Property Id. 1A321454001

Latitude 25.32444598960

Longitude 83.02084397050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/30-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,657.0** व सामान्य कर **1,502.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,512.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3024, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,419.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,533.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMAD S/O MOHD IBRAHIM

पता A.32/175 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320278-- Property Id. 1A321459001

Latitude 25.32611727190

Longitude 83.02072107250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/175 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2112,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,690.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,071.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O ABDUL SATTAR

पता A.32/174 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320277-- Property Id. 1A321460001

Latitude 25.32617588000

Longitude 83.02072314330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/174 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,218.0** व सामान्य कर **244.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 250,C= 250	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,392.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,392.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,473.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O RAHAMTULLA, SALMA BIBI W/O SAMSUL

पता A.32/172 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320274-- Property Id. 1A321463001

Latitude 25.32635960470

Longitude 83.02073830970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/172 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,221.0** व सामान्य कर **684.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2720, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,534.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,534.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,379.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHARA BIBI W/O HAFIJ JALALUDDIN

पता A.32/122-X-1-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320002-- Property Id. 1A321471001

Latitude 25.32747057170

Longitude 83.02131468270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-X-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,686.0** व सामान्य कर **405.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KHALID S/O ABDUL LATIF

पता A.32/122-X-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8382095791

MIS Id. 07310042B Property Id. 1A321480002

Latitude 25.32771470850

Longitude 83.02127043410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,876.0** व सामान्य कर **1,746.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	754.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2142,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,714.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,213.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,213.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,003.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Jaunul Aabadin

पता A.32/122-C-Z Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07310214B Property Id. 1A321481001

Latitude 25.32755067160

Longitude 83.02122898560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-C-Z के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	736.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 736,C= 736	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	589.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	40,274.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	40,274.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,430.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSE.JOHARA BIBI W/O ALIMULLA S/O BADRUNISHA D/O

पता A.32/32 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320535-- Property Id. 1A320001001

Latitude 25.32441081150

Longitude 83.02120313380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,532.0** व सामान्य कर **719.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	728.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1456,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,165.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	738.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BEWA KALIMULLAH OTHERS

पता A.32/32 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260001-- Property Id. 1A320003001

Latitude 25.32448632100

Longitude 83.02120349210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,009.0** व सामान्य कर **331.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,275.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,018.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,018.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIUREHMAN ANISUREHMAN SS/O LAL MOHAMMAD

पता A.32/33-A-K- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270066-- Property Id. 1A320004002

Latitude 25.32451664220

Longitude 83.02103340790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/33-A-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,776.0** व सामान्य कर **855.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,136.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,880.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,880.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	867.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Haji Sukur Rahaman

पता A.32/33-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270066A Property Id. 1A320004003

Latitude 25.32451664220

Longitude 83.02103340790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/33-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,136.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,636.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,636.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	730.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Md. Hanif

पता A.32/31-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320531-- Property Id. 1A320005002

Latitude 25.32456021870

Longitude 83.02120283930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/31-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2200,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,722.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,722.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,269.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Safiurhman

पता A.32/33-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320529-- Property Id. 1A320007001

Latitude 25.32462199190

Longitude 83.02123595120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/33-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,677.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,677.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,064.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN, MOHD HANIF SS/O LATE SANAULLA

पता A.32/46 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9695668781

MIS Id. 07320538-- Property Id. 1A320009001

Latitude 25.32461209120

Longitude 83.02137106390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,361.0** व सामान्य कर **1,360.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2700, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SWAMI

पता A.32/44- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320537-- Property Id. 1A320009002

Latitude 25.32461209120

Longitude 83.02137106390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/44- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,191.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,042.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,235.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,235.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	356.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN,ALIMUDDIN ,ABDUL RAUF S/O LATE AMIRULLA

पता A.32/34 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320527-- Property Id. 1A320010001

Latitude 25.32465260860

Longitude 83.02100208340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,605.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	340.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,525.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,525.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	388.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KURESHA BIBI W/O LATE ABDUL HAMID.IKABAL AHAMAD,ANSAR

पता A.32/34-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320528-- Property Id. 1A320011001

Latitude 25.32463663900

Longitude 83.02114346480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,320.0** व सामान्य कर **475.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 740,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	592.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,285.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,285.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,021.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIRUDDIN S/O TAJ MOHD

पता A.27/87-B-G Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270042-- Property Id. 1A320012001

Latitude 25.32464098010

Longitude 83.02052192400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.27/87-B-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,866.0** व सामान्य कर **205.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,187.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 384,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	307.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,991.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,991.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIUREHMAN S/O NEK MOHAMMAD

पता A.32/48-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330108-- Property Id. 1A320019001

Latitude 25.32468548900

Longitude 83.02162833740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/48-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,851.0** व सामान्य कर **754.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1980,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,584.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,124.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,124.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,004.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JABBAR, ABDUL RASHID, ABDUL AJIJ, NAJIR AHAMAD S/O

पता A.32/34-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320519-- Property Id. 1A320021001

Latitude 25.32470545000

Longitude 83.02117740870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 950, C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,847.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,847.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	643.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANARULLA S/O LATE SAMIULLA, ALIMUNNISA BIBI W/O ABDUL

पता A.32/34-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320518-- Property Id. 1A320022001

Latitude 25.32469575750

Longitude 83.02124584420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

4,205.0

व सामान्य कर

463.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2250, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	17,712.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,712.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,948.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSBUNIISA W/O LATE KUDDUS RAMJAN ALI NEYA ALI

पता A.32/34-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320529A Property Id. 1A320024002

Latitude 25.32471287180

Longitude 83.02100602710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,843.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	444.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKRAMUDDIN S/O ABDUL MAJID

पता A.32/47 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8081485840

MIS Id. 07320543-- Property Id. 1A320025001

Latitude 25.32469503150

Longitude 83.02155104980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,898.0** व सामान्य कर **649.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,427.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,427.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,357.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN,ALAUDDIN,JAINUL ABDIN,HAJARA BIBI,SAMIMA

पता A.32/34-P Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320519A Property Id. 1A320026001

Latitude 25.32468393390

Longitude 83.02106324750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/34-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,719.0** व सामान्य कर **299.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,147.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,147.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	456.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHAB ALI S/O KARAM ULLA

पता A.32/46-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320544-- Property Id. 1A320028001

Latitude 25.32469279520

Longitude 83.02147410190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/46-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,221.0** व सामान्य कर **684.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	39,514.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	39,514.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O ABDUL MAJID

पता A.32/47-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320541-- Property Id. 1A320041002

Latitude 25.32478017580

Longitude 83.02155468610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/47-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,988.0** व सामान्य कर **549.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	541.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,635.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,635.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,280.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFAR S/O NIYAMATULLA

पता A.32/49 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8707048499

MIS Id. 07320540-- Property Id. 1A320042001

Latitude 25.32478534190

Longitude 83.02148036000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/49 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,758.0** व सामान्य कर **523.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHAMD S/O HAJI KALIMULLAH

पता A.32/37-B-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320486B Property Id. 1A320052001

Latitude 25.32485057330

Longitude 83.02103654920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-B-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,728.0** व सामान्य कर **190.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,751.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 304,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	243.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLA,AJIMULLA ,KALIMULLA SS/O SAMIULLA

पता A.32/52-A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320551-- Property Id. 1A320057001

Latitude 25.32487862070

Longitude 83.02165600390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/52-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,581.0** व सामान्य कर **284.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAK S/O LATE NURUL HODA & SMT SAHNAJ BIBI W/O ABDUL

पता A.32/37-D-A-3-A-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320488B Property Id. 1A320060001

Latitude 25.32487590650

Longitude 83.02068847530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-D-A-3-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,530.0** व सामान्य कर **608.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,099.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	633.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASIN AHAMD S/O HAJI MOINUDDIN

पता A.32/37-B-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320486C Property Id. 1A320061001

Latitude 25.32487132590

Longitude 83.02083531120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,861.0** व सामान्य कर **205.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,815.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 812,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	650.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,677.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,677.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	514.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHMAT ALI ALIAS JUNAID,IMTIYAJ AHMAD,HAFIJULLA,EKBAL

पता A.32/37-B-N-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320483-- Property Id. 1A320063001

Latitude 25.32488411110

Longitude 83.02052190960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-B-N-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,622.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,419.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,419.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	266.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL HAK S/O MAULVI NURUL HODA MARHUM

पता A.32/37-D-A-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320488A Property Id. 1A320063002

Latitude 25.32488411110

Longitude 83.02052190960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-D-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,294.0** व सामान्य कर **912.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,622.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1872,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,498.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,626.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,626.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	949.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHHEDI

पता A.32/52 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320555-- Property Id. 1A320070001

Latitude 25.32493679100

Longitude 83.02165195060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/52 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,069.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.SURAIYA BEGAM D/O LATE ISARATULLA

पता A.32/36 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7499707118

MIS Id. 07320508-- Property Id. 1A320075002

Latitude 25.32494182100

Longitude 83.02104524470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/36 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,981.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	756.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 756,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAMATULLAH S/O NURULLAH AYESHA BIBI W/O SALAMTULLAH

पता A.32/37-K-1-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320526B Property Id. 1A320076001

Latitude 25.32495590360

Longitude 83.02097580020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-K-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,600.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	648.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HAQ S/O MOHD YUSUF, MATIURHMAN S/O MOHD YUSUF

पता A.32/55 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320559-- Property Id. 1A320078001

Latitude 25.32496230850

Longitude 83.02150265170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/55 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,388.0** व सामान्य कर **153.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	306.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 306, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	245.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,410.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,410.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	155.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHADI HASAN,ASALAM S/O ANARULLA,KAMRUNNISA D/O

पता A.32/56 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320560-- Property Id. 1A320083001

Latitude 25.32499404480

Longitude 83.02155036470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,656.0** व सामान्य कर **622.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1275,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,020.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,875.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,875.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	646.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIDULLA S/O VALI ULLA

पता A.32/43-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9307349550

MIS Id. 07320504-- Property Id. 1A320086001

Latitude 25.32500191500

Longitude 83.02122771690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/43-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,274.0** व सामान्य कर **470.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	675.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR MOHD, MOHD KHALIL

पता A.32/38 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320492-- Property Id. 1A320089001

Latitude 25.32501306360

Longitude 83.02117915590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/38 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	282.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0, C= 60	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,938.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,938.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	323.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASEED MOHD JUNED MUBARAK ALI MOHD JUBER SS/O HAJI

पता A.32/37+37-A-X Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320511A Property Id. 1A320091001

Latitude 25.32500849680

Longitude 83.02071603880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37+37-A-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,203.0** व सामान्य कर **242.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 450,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,592.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,592.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	285.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAK S/O MAULVI NURUL HODA & MUSMT SAHNAJ BIBI W/O

पता A.32/37-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9454052806

MIS Id. 07320526A Property Id. 1A320097002

Latitude 25.32504123920

Longitude 83.02099287160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,996.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	911.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 396,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	317.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,053.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,053.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	226.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJ JAMALUDDIN S/O MOHD HANIF

पता A.32/55-A+A.32/57-A-J Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320558-- Property Id. 1A320101002

Latitude 25.32504555400

Longitude 83.02143757820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/55-A+A.32/57-A-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,382.0** व सामान्य कर **152.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	375.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1125,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	900.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,904.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,904.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,609.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMULLA, MASIULLA, JATUN BIBI

पता A.32/43 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7505815558

MIS Id. 07320495-- Property Id. 1A320109001

Latitude 25.32504411010

Longitude 83.02131958940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/43 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,416.0** व सामान्य कर **706.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,506.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,506.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,236.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIDA BIBI W/O JABIRULLA

पता A.32/37-C-1-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9628323352

MIS Id. 07320486-- Property Id. 1A320112001

Latitude 25.32511191180

Longitude 83.02082985900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,002.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,456.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,456.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	380.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MURSLIN & MOHD SALEKIN SS/O HAJI JABIULLAH

पता A.32/37-C-1-KH-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9696757909

MIS Id. 07320486A Property Id. 1A320112002

Latitude 25.32511191180

Longitude 83.02082985900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C-1-KH-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,168.0** व सामान्य कर **348.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	572.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 572,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	458.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,295.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,295.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	362.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम K.M.OBEDULLAH S/O HAJI VASIRULLAH

पता A.32/37-C-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7668782940

MIS Id. 07320487-- Property Id. 1A320113001

Latitude 25.32511114220

Longitude 83.02089444630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,775.0** व सामान्य कर **525.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	672.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1344,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,075.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,193.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,193.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	681.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASIBULLA S/O LATE ANARULLA

पता A.32/37-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320490-- Property Id. 1A320115001

Latitude 25.32513319960

Longitude 83.02107147680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,226.0** व सामान्य कर **355.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	418.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1034,C= 220	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	827.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,709.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O ABDUL MAJID

पता A.32/38-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320494A Property Id. 1A320115002

Latitude 25.32513319960

Longitude 83.02107147680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/38-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,092.0** व सामान्य कर **1,110.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	598.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1144,C= 572	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	915.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,594.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,594.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,805.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT TAHIRA BIBI W/O JEENATULLAH

पता A.32/37-V Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320511C Property Id. 1A320118001

Latitude 25.32512854350

Longitude 83.02135062960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,912.0** व सामान्य कर **760.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	624.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,188.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,188.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	791.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHADI HASAN, MOHD. ASLAM SS/O ANATRULLA

पता A.32/58-P Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320568-- Property Id. 1A320121001

Latitude 25.32512927430

Longitude 83.02148598200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/58-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,603.0** व सामान्य कर **836.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,368.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,368.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,140.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIMUL HASAN AJIJUL HASAN BAITUL HASAN PESRAN MOINUDDIN

पता A.32/38-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8957572593

MIS Id. 07320492A Property Id. 1A320123001

Latitude 25.32510814870

Longitude 83.02121732740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/38-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,110.0** व सामान्य कर **342.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	544.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1088,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	870.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,640.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,640.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	620.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIM SALIM & ALIMUDDIN SS/O KHALIL ABDUL GANI,SALULLA,JAN

पता A.32/43-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320496-- Property Id. 1A320123002

Latitude 25.32510814870

Longitude 83.02121732740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/43-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,639.0** व सामान्य कर **620.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,287.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1254,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,003.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,778.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,778.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REYAJUDDIN S/O SHAMSHUDDIN, ABBASIYA BIBI D/O SHAMSHUDDIN

पता A.32/59 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320566-- Property Id. 1A320126001

Latitude 25.32512913290

Longitude 83.02166579830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/59 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,639.0** व सामान्य कर **620.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,248.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	633.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIYA BIBI D/O HAZI RAUF, MUKTAR AHAMAD S/O HAZI MOHD

पता A.32/59-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9616962238

MIS Id. 07260201-- Property Id. 1A320127001

Latitude 25.32514030060

Longitude 83.02158427850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/59-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,823.0** व सामान्य कर **751.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	925.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1850, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,525.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,525.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	938.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI,SALAUULLA,JAN MOHD ALIES PATTU S/O VALI MOHD,

पता A.32/43-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320502-- Property Id. 1A320130001

Latitude 25.32517872360

Longitude 83.02135817830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/43-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,261.0

व सामान्य कर

139.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1775,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,420.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,179.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,179.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	900.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AADIL ANIS KHAN S/O HAKIKUDDIN

पता A.32/45-A-1-R Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320539B Property Id. 1A320130002

Latitude 25.32517872360

Longitude 83.02135817830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/45-A-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,018.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	665.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 912,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	730.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,253.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,253.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	578.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASHMATULLA ALIAS KALLU S/O MOHD.MUSA,FATMA BIBI W/O

पता A.32/61-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320574-- Property Id. 1A320131001

Latitude 25.32515913780

Longitude 83.02179428620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/61-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,796.0** व सामान्य कर **418.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	514.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIM SALIM AMINUDDIN

पता A.32/58-P-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9616962238

MIS Id. 07320564-- Property Id. 1A320135001

Latitude 25.32520303940

Longitude 83.02163668030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/58-P-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,820.0** व सामान्य कर **750.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4530,C= 270	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,118.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,118.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,433.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FARUKH S/O MOHD.VASHIR

पता A.32/38-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320494-- Property Id. 1A320137001

Latitude 25.32521567210

Longitude 83.02113398930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/38-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **900.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	263.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 160,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	922.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	922.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	101.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ALIMUDDIN S/O LATE HAJI AMINUDDIN

पता A.32/57-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320561A Property Id. 1A320139001

Latitude 25.32519933490

Longitude 83.02149332470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/57-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,332.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1100,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,805.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,805.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	859.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI HASIN ULLAH S/O LATE ANVARULLA

पता A.32/37-A-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9838983835

MIS Id. 07320484-- Property Id. 1A320140001

Latitude 25.32519784750

Longitude 83.02107020260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,598.0** व सामान्य कर **1,166.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2625,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,100.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASARULLAH,AJIJULLA ,ALIMULLA ,YAKINULLA ,ABDULLA

पता A.32/37-A-1-A- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320485A Property Id. 1A320140002

Latitude 25.32519784750

Longitude 83.02107020260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-A-1-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,265.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,345.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,345.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAVIH ULLA S/O HASAMTULLA

पता A.32/37-C-2-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320480-- Property Id. 1A320143001

Latitude 25.32520507040

Longitude 83.02073979030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,944.0** व सामान्य कर **654.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	390.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1070,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	856.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,400.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,400.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	704.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LEMTULLA, SALIMTULLA

पता A.32/37-C-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320480A Property Id. 1A320143002

Latitude 25.32520507040

Longitude 83.02073979030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,833.0** व सामान्य कर **1,962.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3800,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,979.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,979.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,088.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASARULLA,ALIMULLA,YAKINULLA,ABDULLA,AMIRULLA

पता A.32/37-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320485-- Property Id. 1A320144001

Latitude 25.32520366770

Longitude 83.02091528410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUNNISA W/O LATE HAZI GULAJAR, MOHD AHAMAD. IKALAKH

पता A.32/63 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320573-- Property Id. 1A320149001

Latitude 25.32524307660

Longitude 83.02189858160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/63 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,567.0** व सामान्य कर **172.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,284.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 342, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	274.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	173.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAFIS AHAMAD S/O LATE MAKBUL RAHAMAN

पता A.32/62 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320572-- Property Id. 1A320151001

Latitude 25.32525774300

Longitude 83.02178472500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/62 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,209.0** व सामान्य कर **683.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKBUL HASAN S/O LATE MOHD IDRIS

पता A.32/37-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320481-- Property Id. 1A320158002

Latitude 25.32531702660

Longitude 83.02082210040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,088.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,617.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	345.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABDUL MATIN S/O HAZI MODH. RAHIM

पता A.32/218 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320571-- Property Id. 1A320159001

Latitude 25.32527861800

Longitude 83.02164042090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/218 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,294.0** व सामान्य कर **912.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,906.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,906.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,840.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL MATIN S/O HAJI MOHD RAHIM

पता A.32/218-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320571A Property Id. 1A320163003

Latitude 25.32530278890

Longitude 83.02146196600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/218-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	605.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SADULLAH

पता A.32/42 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320512-- Property Id. 1A320163004

Latitude 25.32530278890

Longitude 83.02146196600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,294.0** व सामान्य कर **912.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,571.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,571.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	943.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAKIL AHAMAD S/O LATE HAJI ABDUL RAUF

पता A.32/37-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320497-- Property Id. 1A320165003

Latitude 25.32526651870

Longitude 83.02137862510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **28,270.0** व सामान्य कर **3,110.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,058.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6174,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,939.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,450.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,450.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,130.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI REHMAT ALI HAJI MEHANDI

पता A.32/220 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320570A Property Id. 1A320168001

Latitude 25.32531552530

Longitude 83.02132262490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/220 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **29,952.0** व सामान्य कर **3,295.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,390.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 5320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,256.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	30,643.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	30,643.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,371.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAJUDDIN ,AMIDA BIBI,SANIYA BIBI ,SAVRA BIBI,ALIYA BIBI

पता A.32/66 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320342-- Property Id. 1A320171001

Latitude 25.32534000890

Longitude 83.02192902340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/66 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,351.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 612,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	490.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,820.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,820.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	310.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASMA BIBI BEWA SUKURULLAH,RIYAJ AHMED,MUMTAJ

पता A.32/67 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320343-- Property Id. 1A320171002

Latitude 25.32534000890

Longitude 83.02192902340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/67 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,378.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,349.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,016.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,612.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,612.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,277.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GULAM ABDUL KALAM SS/O ABDULLA ROSHAN JAHAN D/O

पता A.32/37-A-1-A-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320482A Property Id. 1A320174001

Latitude 25.32537654650

Longitude 83.02083153230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/37-A-1-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,963.0** व सामान्य कर **436.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,205.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,055.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,055.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	446.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Matin

पता A.32/67-F Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320344-- Property Id. 1A320175001

Latitude 25.32537053320

Longitude 83.02179866260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/67-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	58,291.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	58,291.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,744.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ajijul Rahman, Mahfijul Rahman

पता A.32/67-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320346-- Property Id. 1A320178001

Latitude 25.32539401830

Longitude 83.02167255590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/67-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1600, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,373.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,373.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	811.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHLAK AHAMD EMTEYAZ AHAMD SS/O MAJIDULLAH

पता A.32/67-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320343C Property Id. 1A320178002

Latitude 25.32539401830

Longitude 83.02167255590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/67-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,880.0** व सामान्य कर **317.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,182.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,903.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,903.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	319.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUBAIDA BIBI W/O ANISUREHMAN

पता A.32/216-J-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320370A Property Id. 1A320184001

Latitude 25.32543523790

Longitude 83.02150856730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216-J-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **864.0** व सामान्य कर **95.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,204.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 156,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	125.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	899.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	899.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	99.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAJIDDIN,AVADA BIBI,SANIYA BIBI,SAVARA BIBI,ALIYA BIBI

पता A.32/65 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320341-- Property Id. 1A320186001

Latitude 25.32543614860

Longitude 83.02194085010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/65 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,968.0** व सामान्य कर **1,316.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,711.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHATUN BIBI W/O HAFIJULLA AMBIYA BIBI

पता A.32/216-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320362-- Property Id. 1A320187002

Latitude 25.32543505280

Longitude 83.02157849110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,442.0** व सामान्य कर **1,369.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,920.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,392.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,538.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,538.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,149.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम INAYTULLA,SAFIULLA.AMIRULLA,HASIRAT S/O LATE

पता A.32/217 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320360-- Property Id. 1A320187003

Latitude 25.32543505280

Longitude 83.02157849110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/217 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,762.0** व सामान्य कर **1,294.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,071.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,320.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHMAT ALI S/O MEHADI HUSSAIN

पता A.32/190-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320383-- Property Id. 1A320194001

Latitude 25.32547743680

Longitude 83.02123687380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/190-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,083.0** व सामान्य कर **999.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,694.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2016,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,613.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,290.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,290.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,022.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASSAN, MAKBUL HASSAN S/O LATE IDRISH

पता A.32/190-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320385-- Property Id. 1A320194002

Latitude 25.32547743680

Longitude 83.02123687380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/190-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,692.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,345.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,345.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN S/O HAJI MODH.HANIF

पता A.32/190-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320384-- Property Id. 1A320194003

Latitude 25.32547743680

Longitude 83.02123687380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/190-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,692.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,345.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,345.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI(RAHIN)MOHD ABBAS,MOHD YASIN,ANUL HODA, SS/O

पता A.32/190 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320386-- Property Id. 1A320194004

Latitude 25.32547743680

Longitude 83.02123687380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/190 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,083.0** व सामान्य कर **999.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,692.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,345.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,345.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINA BIBI W/O ABDUL HAMID

पता A.32/69-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320340A Property Id. 1A320197002

Latitude 25.32551751050

Longitude 83.02197270590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/69-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,949.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,949.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	324.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLA,SIDDIULLA.SAMIULLA,AMIRULLA HASHIRAT S/O D/O

पता A.32/216 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320359-- Property Id. 1A320198001

Latitude 25.32553505180

Longitude 83.02151064560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,097.0** व सामान्य कर **1,111.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,120.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,792.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,322.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,322.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,135.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN S/O MUNIRUDDIN

पता A.32/216-A-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320368-- Property Id. 1A320200001

Latitude 25.32553954170

Longitude 83.02141882610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,881.0** व सामान्य कर **647.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 975,C= 325	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	780.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,405.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,405.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,245.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMUDDIN S/O MOHD ALI

पता A.32/73 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6387601382

MIS Id. 07320338-- Property Id. 1A320205001

Latitude 25.32557244400

Longitude 83.02198770260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/73 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,901.0** व सामान्य कर **209.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 664,C= 56	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	531.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,883.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,883.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	427.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHD.SHOEB,HAJI JAINUL AABDIN,HAJI BELAL AHMAD,HAJI

पता A.32/178-A-2-P Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320388E Property Id. 1A320207002

Latitude 25.32556663660

Longitude 83.02051473170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A-2-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,760.0** व सामान्य कर **634.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,147.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1024,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	819.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,898.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,898.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	649.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABDUL MATIN S/O HAZI MOHD IKARAM

पता A.32/215-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320358-- Property Id. 1A320209001

Latitude 25.32555870200

Longitude 83.02158530390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,704.0** व सामान्य कर **737.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	951.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 920,C= 460	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,752.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,752.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,953.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O HAZI MOHD UMAR

पता A.32/69 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320350-- Property Id. 1A320212001

Latitude 25.32556427510

Longitude 83.02183856040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/69 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,980.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,575.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4725,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,780.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,994.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.JUNAID,FUJAIL AHMAD,JAHIRA BIBI,SHAHJAHAN BIBI,HUMAIRA

पता A.32/65-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320348-- Property Id. 1A320215001

Latitude 25.32559734440

Longitude 83.02169567430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/65-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,069.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 640	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,771.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJVAN AHMAD,HUMAIRA BIBI,RAJIYA BIBI,JAHIRA BIBI,SHAHJAHAN

पता A.32/65-B-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320354-- Property Id. 1A320215002

Latitude 25.32559734440

Longitude 83.02169567430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/65-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,686.0** व सामान्य कर **405.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	460.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 520,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	416.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,980.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,980.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,418.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAJAR AHAMAD S/O ABDUL SATTAR

पता A.32/180-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320394-- Property Id. 1A320220001

Latitude 25.32563165960

Longitude 83.02092150310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/180-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,294.0** व सामान्य कर **912.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1520,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,473.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,473.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	932.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKBOOL ELAHI S/O HAJI ABDUL ALI

पता A.32/178-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320392A Property Id. 1A320220002

Latitude 25.32563165960

Longitude 83.02092150310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,221.0** व सामान्य कर **684.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,016.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,104.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,359.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,359.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	699.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD WARIS S/O HAJI USMAN ALI

पता A.32/178-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9389534971

MIS Id. 07320388-- Property Id. 1A320222001

Latitude 25.32565711250

Longitude 83.02063826860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,876.0** व सामान्य कर **976.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	945.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,128.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,128.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,774.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMANTULLA,SALAMTULLA ,MUKULLAH S/O HAZI MODH.HARUN

पता A.32/191 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320381-- Property Id. 1A320223001

Latitude 25.32556810900

Longitude 83.02105255950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/191 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,178.0** व सामान्य कर **570.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2330,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,206.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,206.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,343.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.IMRAN,MOHD.IRFAN,MOHD.RIJVAN,YASMIN BIBI,NAJMA

पता A.32/182 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320389-- Property Id. 1A320223003

Latitude 25.32556810900

Longitude 83.02105255950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/182 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,702.0** व सामान्य कर **1,177.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIZAMUDDIN S/O MOHD.YASIN

पता A.32/188 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320387-- Property Id. 1A320223004

Latitude 25.32556810900

Longitude 83.02105255950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/188 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,642.0** व सामान्य कर **1,061.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEHALUDDIN S/O HAZI MATIULLAH

पता A.32/70-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320352-- Property Id. 1A320224003

Latitude 25.32566698760

Longitude 83.02183538330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/70-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MOHD ISHA, MOHD FARUKH, MOHD

पता A.32/70 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320351-- Property Id. 1A320224004

Latitude 25.32566698760

Longitude 83.02183538330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/70 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,435.0** व सामान्य कर **488.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUBARAK ALI AFASANA BIBI SALMA BIBI PESAR DUKHTARAN

पता A.32/70-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9389954266

MIS Id. 07320372B Property Id. 1A320224005

Latitude 25.32566698760

Longitude 83.02183538330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/70-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **887.0** व सामान्य कर **98.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,203.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 208,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	166.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	958.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	958.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	105.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJ AALAM S/O HAJI AINUL HODA

पता A.32/69-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320340-- Property Id. 1A320231001

Latitude 25.32566094360

Longitude 83.02199200580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/69-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,776.0** व सामान्य कर **305.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 630,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	504.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,903.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,903.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	319.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISLAM, MAKBUL, MOHD SALAMUDDIN, BAIRASUTUNISHA

पता A.32/72 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320332-- Property Id. 1A320231002

Latitude 25.32566094360

Longitude 83.02199200580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/72 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,736.0** व सामान्य कर **2,281.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,309.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4224, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,379.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,330.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,330.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,676.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIYAJUDDIN, RAMJAN

पता A.32/212 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320377-- Property Id. 1A320232001

Latitude 25.32571155480

Longitude 83.02149331200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/212 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,777.0** व सामान्य कर **635.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1260, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,008.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJUAL HASAN,MEHADI HASAN,MAKBUL HASAN,AJIMUL

पता A.32/213 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320372-- Property Id. 1A320232002

Latitude 25.32571155480

Longitude 83.02149331200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/213 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,794.0** व सामान्य कर **1,187.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,247.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD VASIR S/O HAZI MATIULLA

पता A.32/215-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320356-- Property Id. 1A320233001

Latitude 25.32570831980

Longitude 83.02159794420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,152.0** व सामान्य कर **1,007.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	770.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1540,C= 770	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	44,795.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	44,795.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,927.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANJUR AHAMAD, MOHD FARUKH SS/O SHAMSUDOHA

पता A.32/214 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320372A Property Id. 1A320233002

Latitude 25.32570831980

Longitude 83.02159794420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/214 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,133.0** व सामान्य कर **1,445.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2880, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,271.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,271.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,460.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL MOHD S/O RAMJAN ALI

पता A.32/70-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320353-- Property Id. 1A320236001

Latitude 25.32572914940

Longitude 83.02183161290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/70-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,435.0** व सामान्य कर **488.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,534.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,534.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,379.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABUL HASAN S/O HAJI MOHD.HANIF

पता A.32/192 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320379-- Property Id. 1A320237001

Latitude 25.32571658650

Longitude 83.02130661650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/192 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,914.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1012,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,663.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,663.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	513.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MOHD YUNUS ANSARI S/O HAZI SAMIULLA

पता A.32/75-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320331-- Property Id. 1A320239001

Latitude 25.32576159770

Longitude 83.02198982860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/75-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,904.0** व सामान्य कर **649.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,001.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTARUNNISA W/O NURUL HAQ

पता A.32/182-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320388B Property Id. 1A320240001

Latitude 25.32574568790

Longitude 83.02102187620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/182-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,183.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1344,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,075.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	766.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUBAIDA BIBI JAUJEY ANISUREHMAN

पता A.32/191-J-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320381C Property Id. 1A320241001

Latitude 25.32571768320

Longitude 83.02118201270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/191-J-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,664.0** व सामान्य कर **403.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,402.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 798,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,677.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,677.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	404.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHABUDDIN S/O MOHD.YASIN

पता A.32/181+181-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320391A Property Id. 1A320246001

Latitude 25.32576095640

Longitude 83.02086460610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/181+181-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,416.0** व सामान्य कर **926.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,318.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,571.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,571.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	943.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID MOHD JUNAID MUBARAK ALI MOHD JUBAIR

पता A.32/178-A-1-G Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320400D Property Id. 1A320247002

Latitude 25.32549127670

Longitude 83.02082480840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	9,610.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4096,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,277.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,874.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,874.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,076.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O MOHD.YASIN

पता A.32/179-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320399B Property Id. 1A320247003

Latitude 25.32549127670

Longitude 83.02082480840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/179-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,141.0** व सामान्य कर **1,556.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	9,613.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3072,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,458.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O MOHD.YASIN

पता A.32/178 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8423332390

MIS Id. 07320399-- Property Id. 1A320247005

Latitude 25.32549127670

Longitude 83.02082480840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,837.0** व सामान्य कर **1,852.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,280.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,280.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,901.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAINUL AABDIN S/O MOHD.YASIN

पता A.32/179 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320399A Property Id. 1A320247006

Latitude 25.32549127670

Longitude 83.02082480840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/179 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,837.0** व सामान्य कर **1,852.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	9,613.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3672,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,938.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,921.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,921.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,861.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SIDDIK S/O AJIJUREHMAN

पता A.32/71 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320333-- Property Id. 1A320249001

Latitude 25.32579487620

Longitude 83.02183704440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/71 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,456.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	780.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,872.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,783.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,783.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,186.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHD.SHIEB,HAJI JAINUL AABDIN,HAJI BELAL AHMAD,HAJI

पता A.32/178-A-1-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320388F- Property Id. 1A320250001

Latitude 25.32576995660

Longitude 83.02063874600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1024,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	819.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,719.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,719.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	519.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENUL HASAN S/O HAJI USMAN ALI

पता A.32/178-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320392-- Property Id. 1A320253001

Latitude 25.32574249680

Longitude 83.02054030520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/178-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,101.0** व सामान्य कर **1,001.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1350,C= 675	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	39,269.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	39,269.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,320.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HAFIJ, JAHIRUDDIN SS/O LATE HASMATULLA, SARIFUNNISHA

पता A.32/75 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320330-- Property Id. 1A320256001

Latitude 25.32582096660

Longitude 83.02199743400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/75 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI JAINUL ABDIN S/O LATE BADRUDOJA

पता A.32/215-D-G-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9580348801

MIS Id. 07320320A Property Id. 1A320258001

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-D-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,958.0** व सामान्य कर **215.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	760.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 600,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYAD HASAN S/O BADRUDOJA

पता A.32/215-G Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9580348801

MIS Id. 07320357-- Property Id. 1A320258002

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,843.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	760.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 640,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLA S/I ASAGAR ALI

पता A.32/211 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320306-- Property Id. 1A320258004

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/211 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,565.0** व सामान्य कर **392.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	758.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN S/O BADURUDOJA

पता A.32/216-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320359A Property Id. 1A320258005

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,728.0** व सामान्य कर **190.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	761.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 330,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	264.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,901.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,901.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	209.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUL HAK S/O NURUL HAK SANAUUDIN

पता A.32/211-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9580348801

MIS Id. 07320306A Property Id. 1A320258006

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/211-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	54,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	54,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,165.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISRAR AHAMAD S/O LATE MOHD HANIF

पता A.32/211-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320307-- Property Id. 1A320259002

Latitude 25.32582306530

Longitude 83.02150748550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/211-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,137.0** व सामान्य कर **235.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	730.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,157.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,157.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	237.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLH S/O ASGAR ALI

पता A.32/211-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320305-- Property Id. 1A320260001

Latitude 25.32582099040

Longitude 83.02145825250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/211-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,565.0** व सामान्य कर **392.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	504.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YASIN MUSTFA FATMA, ABDUL AJIJ, RAMJAN ALI SS/O

पता A.32/193 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320303-- Property Id. 1A320262001

Latitude 25.32583392240

Longitude 83.02128965660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/193 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,677.0** व सामान्य कर **1,064.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2160, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,728.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,953.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,953.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,095.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUL HODA,MUSHTAK ALI,LAYAK

पता A.32/193-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320304-- Property Id. 1A320262003

Latitude 25.32583392240

Longitude 83.02128965660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/193-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,262.0** व सामान्य कर **1,569.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	650.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 3250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,976.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,976.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,647.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRULLA, ABUL HASAN, NURUL HASAN SS/O LATE

पता A.32/215-E Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320318-- Property Id. 1A320264002

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,933.0** व सामान्य कर **653.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	432.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1146, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	917.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,625.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,625.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,389.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIUDDIN S/O ALI MULLA

पता A.32/215-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320320-- Property Id. 1A320264003

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,548.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	675.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALALUDDIN S/O ALI MULLA

पता A.32/215-D-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8687344515

MIS Id. 07320321-- Property Id. 1A320264004

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-D-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,592.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	459.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 459,C= 459	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	367.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,852.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,852.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,734.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLA ALIES KULLAH S/O BABU

पता A.32/210 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320201-- Property Id. 1A320264005

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/210 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,530.0** व सामान्य कर **608.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 700	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,272.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,272.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,770.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASIN AHAMD KHURSID AHAMD S/O HAJI ABDUL AHAD

पता A.32/115-H-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9118022315

MIS Id. 07320075A Property Id. 1A320264007

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-H-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,424.0** व सामान्य कर **487.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,430.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,478.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,478.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,483.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK HAMIDULLA

पता A.32/215-E-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320319-- Property Id. 1A320264008

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,453.0** व सामान्य कर **490.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,427.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK NURUL HODA S/O BADRUDOJA

पता A.32/215-F Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320316-- Property Id. 1A320264009

Latitude 25.32582825140

Longitude 83.02166845050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/215-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,972.0** व सामान्य कर **327.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,427.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,986.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,986.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	328.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID, ABDUL HAMID

पता A.32/183 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320286-- Property Id. 1A320269001

Latitude 25.32588412470

Longitude 83.02095530410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/183 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,082.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,575.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 5375, C= 225	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,300.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,784.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,784.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,936.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISRAR AHAMAD S/O LATE MOHD HANIF

पता A.32/194-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320302-- Property Id. 1A320272001

Latitude 25.32591456220

Longitude 83.02133270560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/194-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,686.0** व सामान्य कर **405.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1584,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,267.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,299.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,299.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	803.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD UMAR S/O MOHD USMAN

पता A.32/89 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9389654466

MIS Id. 07320322-- Property Id. 1A320273001

Latitude 25.32590262170

Longitude 83.02195406280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/89 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,206.0** व सामान्य कर **793.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2160,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,728.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,953.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,953.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,095.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.BADRUNNISA W/O LATE ASIR ALI, MOHD AHAMAD SS/O ASIR ALI

पता A.32/171-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320285-- Property Id. 1A320275001

Latitude 25.32590247500

Longitude 83.02085534660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/171-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	520.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1560, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,248.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,188.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,188.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	791.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BETUL HASSAN,ANUAL HASAN,IRASAD HASSAN,MUMTAJ

पता A.32/210-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320308-- Property Id. 1A320277001

Latitude 25.32592588150

Longitude 83.02152990530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/210-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,702.0** व सामान्य कर **1,177.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA,BASIRUDDIN SS/O AMIRULLA,MOHD AYUB S/O

पता A.32/186 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320294-- Property Id. 1A320281001

Latitude 25.32590799690

Longitude 83.02110505520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/186 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,133.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	308.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	468.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JABBAR S/O HAZI MATI ULLA

पता A.32/183-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320287-- Property Id. 1A320282001

Latitude 25.32597598800

Longitude 83.02096406850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/183-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,965.0** व सामान्य कर **1,096.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1650,C= 550	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,531.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,531.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL BASHIR

पता A.32/80-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320173B Property Id. 1A320283001

Latitude 25.32598537300

Longitude 83.02205324700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/80-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2790,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,768.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIVIULLA S/O KHALIULLA

पता A.32/197 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320290-- Property Id. 1A320284003

Latitude 25.32596217510

Longitude 83.02121221750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/197 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,208.0** व सामान्य कर **353.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	672.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2040,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,632.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,400.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,400.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,034.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIMULLA ALIES FATEH MODH. S/O HAFIJULLA

पता A.32/170 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320282-- Property Id. 1A320285001

Latitude 25.32600366320

Longitude 83.02083773560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/170 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,988.0** व सामान्य कर **549.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,170.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,069.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,069.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	558.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O SIDDIKULLA

पता A.32/90 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320181-- Property Id. 1A320286002

Latitude 25.32599067920

Longitude 83.02187067760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/90 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,232.0** व सामान्य कर **686.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 570,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,659.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,659.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,712.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MINAD HASAN S/O HAJI HAFIJU RAHMAN

पता A.32/184-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320288A Property Id. 1A320289001

Latitude 25.32603512370

Longitude 83.02097630690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/184-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,871.0** व सामान्य कर **426.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1820,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,856.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,856.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MILAD HASSAN, VALI AHMAD HASAN SS/O HAFIJURAHMAN

पता A.32/184 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320288-- Property Id. 1A320289003

Latitude 25.32603512370

Longitude 83.02097630690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/184 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,871.0** व सामान्य कर **426.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600, C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WALI MOHD S/O AJIMULLAH HAFIJULLAH ALIAS LALLU HAJI

पता A.32/196-B-2-1-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320291-- Property Id. 1A320290001

Latitude 25.32603327870

Longitude 83.02111367650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/196-B-2-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **23,455.0** व सामान्य कर **2,580.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4000,C= 2000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,041.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.BASHIR,SAMIULLA S/O MOHD.ISHA

पता A.32/80 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320175A Property Id. 1A320293001

Latitude 25.32601578520

Longitude 83.02196013170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/80 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2790,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,768.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम md bashir s/o haji md isha nurul hoda samsulhoda balig pesran md bashir

पता A.32/80-A-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320173A Property Id. 1A320293002

Latitude 25.32601578520

Longitude 83.02196013170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/80-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,069.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	947.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1144,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	915.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,272.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,272.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	580.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUBARAK ALI S/O HAZI MOHD FARUKH

पता A.32/209-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335440405

MIS Id. 07320203-- Property Id. 1A320294001

Latitude 25.32606314370

Longitude 83.02154848850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/209-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,903.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	375.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1125,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	900.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	570.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIYATAUFIK,DANISH RAZA,TASLIMA NASRIN,SADIK MUSHTAFA S/O

पता A.32/197-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320290A Property Id. 1A320295001

Latitude 25.32607842490

Longitude 83.02112809510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/197-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,451.0** व सामान्य कर **710.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	704.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1408,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,126.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,110.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,110.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	892.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANVAR AHMAD S/O MOHD.IBRAHIM

पता A.32/169 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320281-- Property Id. 1A320296001

Latitude 25.32607509740

Longitude 83.02084991300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/169 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,376.0** व सामान्य कर **701.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,115.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1392,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,114.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,414.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,414.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	706.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LOHA S/O SAMSUJOHA, RAHIYA S/O

पता A.32/198 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320227-- Property Id. 1A320297001

Latitude 25.32607829710

Longitude 83.02122208820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/198 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,664.0** व सामान्य कर **183.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	608.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 708,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	566.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,262.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,262.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	359.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASMATULLA S/O HAJI MOHD.MUSTAFA

पता A.32/198-A-H+A.32/198-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320224A Property Id. 1A320297002

Latitude 25.32607829710

Longitude 83.02122208820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/198-A-H+A.32/198-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,152.0

व सामान्य कर

127.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	868.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 460,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	368.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,650.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,650.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	292.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN S/O LATE MUNIRUDDIN

पता A.32/191-X-2,191-X-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320225-- Property Id. 1A320299001

Latitude 25.32611797080

Longitude 83.02113842800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/191-X-2,191-X-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,564.0** व सामान्य कर **392.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	471.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATE MOHD S/O MOHD ISHAHAK

पता A.32/200 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320207-- Property Id. 1A320300001

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/200 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,384.0** व सामान्य कर **812.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	901.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1101,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	881.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,865.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,865.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,635.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BETUL HASAN,ANUAL HASAN,IRASAD HASAN,MUMTAJ AHAMAD

पता A.32/204-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320210-- Property Id. 1A320300002

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/204-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,554.0** व सामान्य कर **941.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUNNISA W/O LATE HAZI GULJAR HASSAN

पता A.32/194 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320301-- Property Id. 1A320300004

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/194 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **30,908.0** व सामान्य कर **3,400.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,180.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 6800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,334.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,334.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,447.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIN,HAFIJ AHAMAD,NOMAN SS/O AJIMUL HASAN

पता A.32/196 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320222-- Property Id. 1A320300005

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/196 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,800.0** व सामान्य कर **2,068.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,177.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4116,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,293.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,086.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.MOVIN,ABDUL MATIN, RAMJAN ALI, ABDUL KAYUM, AMNA

पता A.32/200-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320207A Property Id. 1A320300006

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/200-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,414.0** व सामान्य कर **596.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,180.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 960, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MURTJA S/O MEHADI HASAN, MOHD SHOAB S/O ABUL

पता A.32/92-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320185-- Property Id. 1A320301002

Latitude 25.32608973310

Longitude 83.02187643440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/92-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,237.0** व सामान्य कर **356.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	914.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 720, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL BASHAR, ABDUL MATIN, MOHD. YASIN, KURAISHA BIBI, SAVIDA

पता A.32/208-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8840243745

MIS Id. 07320199-- Property Id. 1A320302001

Latitude 25.32611817770

Longitude 83.02155629680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/208-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,274.0** व सामान्य कर **470.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,139.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 480, C= 240	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	384.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,962.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,962.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,536.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MODH.MURTJA S/O MEHDI HASSAN ,HASIN AHMAD S/O HAZI MAKBUL

पता A.32/208 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320204-- Property Id. 1A320303001

Latitude 25.32611303260

Longitude 83.02171130890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/208 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,131.0** व सामान्य कर **784.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,315.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1560,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,248.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,188.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,188.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	791.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI JAMIL S/O ALIMULLA, SHAJDA BIBI, MAJIDUNNISA BIBI, VAJIDA

पता A.32/166 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320267-- Property Id. 1A320304001

Latitude 25.32613650610

Longitude 83.02085609960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/166 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,168.0** व सामान्य कर **1,228.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3960, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,168.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,248.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,248.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,007.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAYUM, ABDUL HAI, ABDUL AJIJ SS/O ABDUL AYUB

पता A.32/16-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320268-- Property Id. 1A320304002

Latitude 25.32613650610

Longitude 83.02085609960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/16-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,378.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,021.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMULLA,IBRAHIM,HAZI MOHD NURUL,HAZI ABDUL AJIJ MOHD

पता A.32/87 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320176-- Property Id. 1A320306002

Latitude 25.32612722830

Longitude 83.02207075490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/87 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **950.0** व सामान्य कर **105.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,833.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	995.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	995.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	109.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA S/O AB.GAFUR ,MATIULLA,ALIMUNNISA,HAZI ABDUL

पता A.32/79 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320173-- Property Id. 1A320306003

Latitude 25.32612722830

Longitude 83.02207075490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/79 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,248.0** व सामान्य कर **1,457.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,142.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4284,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,427.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,741.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,741.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,172.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAJUDDIN S/O LATE AMIBUDDIN

पता A.32/185-A-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320229-- Property Id. 1A320307003

Latitude 25.32614629960

Longitude 83.02101197880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/185-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,845.0** व सामान्य कर **313.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,986.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,986.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	328.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKBUL HASAN S/O HAJI MOH.YAMIN

पता A.32/87-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320176A Property Id. 1A320308001

Latitude 25.32612123240

Longitude 83.02197356720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/87-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,456.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	336.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 608,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	486.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD UMAR S/O MOHD USMAN

पता A.32/90-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320181B Property Id. 1A320308002

Latitude 25.32612123240

Longitude 83.02197356720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/90-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	506.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 506,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	405.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,332.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,332.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	257.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O HAZI MOHD HARUN

पता A.32/165 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320271-- Property Id. 1A320310001

Latitude 25.32619003030

Longitude 83.02085775630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/165 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	884.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 390,C= 130	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	312.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,162.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,162.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHIRA BIBI W/O KHALIL, MD RAFIK, MUSTAK

पता A.32/185-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320228-- Property Id. 1A320311002

Latitude 25.32619286980

Longitude 83.02102933220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/185-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,901.0** व सामान्य कर **209.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,072.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1064, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	851.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,903.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,903.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	539.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN S/O

पता A.32/208-F Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320205-- Property Id. 1A320312001

Latitude 25.32618204160

Longitude 83.02171568950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/208-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,331.0** व सामान्य कर **476.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,163.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,424.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,424.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	487.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLA

पता A.32/80-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8932967572

MIS Id. 07320175-- Property Id. 1A320313001

Latitude 25.32620584390

Longitude 83.02208039950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/80-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,131.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	160.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,949.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,949.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	324.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL.VAHID

पता A.32/209 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335486893

MIS Id. 07320206A Property Id. 1A320315001

Latitude 25.32618529000

Longitude 83.02154752610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/209 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,318.0** व सामान्य कर **365.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,427.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,427.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,357.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL.VAHID

पता A.32/209-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335486893

MIS Id. 07320206-- Property Id. 1A320315002

Latitude 25.32618529000

Longitude 83.02154752610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/209-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,547.0** व सामान्य कर **610.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	484.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 484,C= 484	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	387.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,927.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,927.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,852.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJID S/O HAZI ABDUL HAFIJ, MOHD YASIN (MINOR) S/O ABDUL HAFIJ

पता A.32/199 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320223-- Property Id. 1A320316001

Latitude 25.32620148880

Longitude 83.02126198350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/199 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,960.0** व सामान्य कर **326.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	714.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1428, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,142.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,580.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,580.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	724.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJIRAN BIBI W/O LATE MD.UMAR,GULAM RASUL

पता A.32/164 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6387820533

MIS Id. 07320265-- Property Id. 1A320317001

Latitude 25.32623835710

Longitude 83.02086366800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/164 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,212.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	345.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 570,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,627.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,627.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	289.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULJAR AHMAD,BADRUDDIN,NURUDDIN,AKHLAK AHMAD SS/O

पता A.32/166-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320266-- Property Id. 1A320317002

Latitude 25.32623835710

Longitude 83.02086366800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/166-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,530.0** व सामान्य कर **608.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	862.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1254,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,003.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,778.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,778.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.HOJRA BIBI,AMINA BIBI,JOHRA BIBI,LAILUNNISA BIBI,JUBAIDA

पता A.32/185 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320232-- Property Id. 1A320319001

Latitude 25.32624404200

Longitude 83.02103602430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/185 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	605.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1210,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	968.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	613.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIMULLA S/O HAZI ABDUL HAMID

पता A.32/185-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320231-- Property Id. 1A320319002

Latitude 25.32624404200

Longitude 83.02103602430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/185-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,899.0** व सामान्य कर **539.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	425.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,813.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,813.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	969.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MEHADI HASAN,MAKBUL HASAN,HAZI ABUL HASAN SS/O HAZI

पता A.32/92-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320187-- Property Id. 1A320320001

Latitude 25.32624420590

Longitude 83.02186406300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/92-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,902.0** व सामान्य कर **1,419.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,258.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3774,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,019.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,391.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,391.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,913.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHMAD S/O LATE HAJI BADRUDDIN

पता A.32/147-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320234-- Property Id. 1A320321001

Latitude 25.32632680710

Longitude 83.02111412210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,534.0** व सामान्य कर **1,379.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	950.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2850,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MODH.IDRISH,MODH.AHMAD S/O HAZI MODH.AYUB,MOHD ANSARI

पता A.32/160 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320233-- Property Id. 1A320321002

Latitude 25.32632680710

Longitude 83.02111412210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/160 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,373.0** व सामान्य कर **811.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,330.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,534.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,534.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,379.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHAMAD, HAFIJ AHAMAD, MOHD, NOMAN SS/O HAZI AGIGUL

पता A.32/162-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8035231781

MIS Id. 07320263A Property Id. 1A320321003

Latitude 25.32632680710

Longitude 83.02111412210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/162-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,530.0** व सामान्य कर **168.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,119.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland)	GF_Vacant Plot	
3	भवन का प्रकार	Not Applicable	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 0, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.15	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,814.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,814.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	420.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMULLA S/O SIDDIKULLA, ABDUL HASAN, ANISURHAMAN, ANWARUL

पता A.32/86-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320170-- Property Id. 1A320322001

Latitude 25.32627251900

Longitude 83.02203758890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/86-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,274.0** व सामान्य कर **470.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2250, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,368.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,368.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,140.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKIL AHMAD,JAVED AHMAD,JUNAID AHMAD,SHUAIB AHMAD SS/O

पता A.32/80-A-1-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320172-- Property Id. 1A320322002

Latitude 25.32627251900

Longitude 83.02203758890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/80-A-1-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,214.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,634.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 624,C= 624	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	499.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,786.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,786.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,716.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULJAR AHAMAD S/O AJIJURHMAN

पता A.32/204 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6394606459

MIS Id. 07320209-- Property Id. 1A320323001

Latitude 25.32629445310

Longitude 83.02148377950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/204 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,661.0** व सामान्य कर **293.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,478.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,478.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,483.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMNA BIBI W/O MOHD IDRIS, ABDUL HASSAN, MAKBUL HASAN SS/O

पता A.32/201 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320211-- Property Id. 1A320323002

Latitude 25.32629445310

Longitude 83.02148377950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/201 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,584.0** व सामान्य कर **174.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,243.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 360, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	288.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	1,659.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,659.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	182.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RABIYA KHATOON W/O LATE HAJI MOHD.DEEN,SHABANA

पता A.32/163-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8807912197

MIS Id. 07320273A Property Id. 1A320324002

Latitude 25.32631034580

Longitude 83.02086661070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/163-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,912.0** व सामान्य कर **760.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,743.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,188.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,188.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	791.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZEENATUNNISA W/O NIZAMUDDIN

पता A.32/151 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7505956064

MIS Id. 07320238A Property Id. 1A320325001

Latitude 25.32630182070

Longitude 83.02129046140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/151 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,531.0** व सामान्य कर **828.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	972.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1944,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,555.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,197.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,197.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,232.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM

पता A.32/202 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320221-- Property Id. 1A320325002

Latitude 25.32630182070

Longitude 83.02129046140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/202 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,683.0** व सामान्य कर **1,395.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLAH MOHD IKRAM

पता A.32/201-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7505956064

MIS Id. 07320211A Property Id. 1A320325003

Latitude 25.32630182070

Longitude 83.02129046140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/201-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,027.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	306.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 612,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	490.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,820.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,820.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	310.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISRARUL HAQ S/O HAZI MOHD ISMAIL

पता A.32/161 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320262-- Property Id. 1A320327001

Latitude 25.32635453730

Longitude 83.02098602380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/161 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,997.0** व सामान्य कर **440.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 100,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	80.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	44,525.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	44,525.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MEHADI HASAN, MAKBUL HASAN, HAZI ABUL HASAN, SS/O LATE

पता A.32/162 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320263-- Property Id. 1A320327002

Latitude 25.32635453730

Longitude 83.02098602380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/162 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,664.0** व सामान्य कर **183.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	934.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 380, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम alimunissa alimuddin ajimuddin ss/o nurul hoda

पता A.32/172-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320274A Property Id. 1A320329001

Latitude 25.32638468820

Longitude 83.02088591820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/172-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	788.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,239.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,239.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	466.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKIL AHMAD,JAVED AHMAD,JUNAID AHMAD,SHUAIB AHMAD SS/O

पता A.32/84-A-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320167-- Property Id. 1A320330001

Latitude 25.32636097320

Longitude 83.02207083810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/84-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,592.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 280,C= 80	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	224.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,369.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,369.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	591.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALTAFURRAHMAN ANSARI S/O JAINUL AARFIN, SMT. RISALAT BIBI

पता A.32/85-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320166-- Property Id. 1A320330004

Latitude 25.32636097320

Longitude 83.02207083810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/85-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,404.0** व सामान्य कर **264.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,249.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,426.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,426.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	267.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHAMAD,ANSAR AHAMAD.IMTIYAJ AHAMAD,KALIMURHMAN

पता A.32/206 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335970830

MIS Id. 07320212-- Property Id. 1A320332001

Latitude 25.32637955060

Longitude 83.02150904870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/206 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,226.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,226.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	355.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIMA BIBI W/O LATE ABDUL GAFFAR

पता A.32/84 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320163-- Property Id. 1A320335001

Latitude 25.32643061140

Longitude 83.02208389530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,963.0** व सामान्य कर **436.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,092.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,055.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,055.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	446.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUNISSA S/O SIDDIKULLAH

पता A.32/85 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8423886987

MIS Id. 07320167A Property Id. 1A320336001

Latitude 25.32643293980

Longitude 83.02197602340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/85 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,212.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	801.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 528,C= 84	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,667.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,667.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	403.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJURHAMAN S/O IBRAHIM S/O HAZI KALIMULLAH, HAVIBUNNISA

पता A.32/84-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320164-- Property Id. 1A320336003

Latitude 25.32643293980

Longitude 83.02197602340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/84-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,002.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 840, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,355.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,355.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	479.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MOHD ALI LOLA, VALIULLA, HAZI VALI MOHD, MOHD

पता A.32/86 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320171-- Property Id. 1A320336004

Latitude 25.32643293980

Longitude 83.02197602340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,592.0** व सामान्य कर **1,275.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ANISURRAHMAN S/O LATE HAJI ABDUL SATTAR

पता A.32/94 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9580512107

MIS Id. 07320188-- Property Id. 1A320339003

Latitude 25.32642763660

Longitude 83.02186663510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/94 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,018.0** व सामान्य कर **882.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,294.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,294.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISSA W/O SALMATULLAH

पता A.32/149 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320218-- Property Id. 1A320340001

Latitude 25.32644014010

Longitude 83.02134303940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/149 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,451.0** व सामान्य कर **710.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,321.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1404,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,123.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,470.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,470.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	712.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM

पता A.32/157 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320238-- Property Id. 1A320341001

Latitude 25.32649389460

Longitude 83.02118028840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/157 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,452.0** व सामान्य कर **710.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_&lt	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 3900,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,440.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,440.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,138.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YASIN S/O MOHD UMAR

पता A.32/83 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320162-- Property Id. 1A320343001

Latitude 25.32651326470

Longitude 83.02208842130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,113.0** व सामान्य कर **1,882.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,040.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,280.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,280.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,901.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULJAR AHAMAD, VAKI MOHD, KARAM BIBI, KHUDAIJA

पता A.32/98 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320196-- Property Id. 1A320344001

Latitude 25.32649396260

Longitude 83.02160825930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/98 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,357.0** व सामान्य कर **589.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,294.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,294.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLA,BALIULLA,ANUAL HODA,FAJUDDIN,ABBAS ALI SS/O

पता A.32/147-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320195-- Property Id. 1A320344002

Latitude 25.32649396260

Longitude 83.02160825930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,912.0** व सामान्य कर **760.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,486.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,963.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,963.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	876.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT BADRUNISSA W/O LATE MOHD EKRAMMOHD SARF

पता A.32/147-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8687624551

MIS Id. 07320216B Property Id. 1A320344003

Latitude 25.32649396260

Longitude 83.02160825930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,443.0** व सामान्य कर **599.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,489.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,474.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,474.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	602.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIBUNNISA W/O LATE JAINUL ABDIN,ANISURHAMAN,MOHD

पता A.32/152 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320242-- Property Id. 1A320347002

Latitude 25.32656805990

Longitude 83.02126901130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/152 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,845.0** व सामान्य कर **313.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	704.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1408,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,126.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,488.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,488.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	714.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KHALIL,MATIURHAMAN,ABDUL KHALID,VAKIL

पता A.32/114-D-8 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320241-- Property Id. 1A320347003

Latitude 25.32656805990

Longitude 83.02126901130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **950.0** व सामान्य कर **105.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,509.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	995.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	995.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	109.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJJUREHMAN ANISUREHMAN

पता A.32/83-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8299605354

MIS Id. 07320164A Property Id. 1A320348001

Latitude 25.32655662680

Longitude 83.02198797230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/83-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,784.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,784.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,946.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAYARA BIBI D/O MD.DIN ANWAR AHMAD S/O HAZI KHALIRUHAMAN

पता A.32/153-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320240-- Property Id. 1A320349001

Latitude 25.32658337000

Longitude 83.02118827440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/153-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,981.0

व सामान्य कर

218.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 540,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,957.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,957.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	435.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O ABDUL HALIM ALIES BABBAN

पता A.32/153 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320239-- Property Id. 1A320349002

Latitude 25.32658337000

Longitude 83.02118827440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/153 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,796.0** व सामान्य कर **418.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,087.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,981.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,981.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	438.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHAMAD,HAFIS,SHAMIM AHMAD SS/O HAZI ABDUL SALAM

पता A.32/153-X Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320239A Property Id. 1A320349003

Latitude 25.32658337000

Longitude 83.02118827440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/153-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,074.0** व सामान्य कर **228.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,087.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,157.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,157.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	237.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMAL AHMAD S/O HAJI KHALILURRAHMAN

पता A.32/153-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9235180469

MIS Id. 07320243A Property Id. 1A320349004

Latitude 25.32658337000

Longitude 83.02118827440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/153-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,456.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,090.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 608,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	486.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHAMTULLAH

पता A.32/53 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320532-- Property Id. 1A320350001

Latitude 25.32659276160

Longitude 83.02112111900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/53 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	525.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1575,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,260.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHD HANIF S/O HAJI SAFIUREHMAN

पता A.33/31-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07230021C Property Id. 1A320351002

Latitude 25.32656639990

Longitude 83.02188238420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.33/31-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,095.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 5000,C= 250	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,280.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,280.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,881.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIKIRUNISSA W/O ABDUL MAJID NAIMUDDIN ALIAS KAUSAR

पता A.32/100-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320191-- Property Id. 1A320352001

Latitude 25.32659210510

Longitude 83.02181796220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/100-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,834.0** व सामान्य कर **862.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	629.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1700,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,303.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,303.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,023.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.AHAMAD,MD.SIDDIK S/O LATE MOHD VARISH

पता A.32/156 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320259-- Property Id. 1A320354001

Latitude 25.32661163270

Longitude 83.02101039100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/156 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,547.0** व सामान्य कर **610.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,040.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,664.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,585.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,585.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,054.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.MEHARUNNISA W/O JANAB HAZI ABDUL SALAM

पता A.32/155-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320258-- Property Id. 1A320354002

Latitude 25.32661163270

Longitude 83.02101039100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/155-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,739.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	570.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1510,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,208.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,750.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,750.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,843.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA,SAFIULLA,FAJILAT BIBI,SMT.HAJRA BIBI,SMT.LAHUAT

पता A.32/155 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320257-- Property Id. 1A320354003

Latitude 25.32661163270

Longitude 83.02101039100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/155 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,149.0** व सामान्य कर **566.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,294.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,294.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHLAK AHAMAD ASFAK AHAMAD ISTIYAK AHAMAD MD. KHALID

पता A.31/83-A+A.31/83-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07310309-- Property Id. 1A320354004

Latitude 25.32661163270

Longitude 83.02101039100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.31/83-A+A.31/83-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,411.0** व सामान्य कर **265.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,177.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,055.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,055.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	446.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULJAR AHMAD,NURUL HODA,MUKHTAR AHMAD,USMAN

पता A.32/106-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320151-- Property Id. 1A320357001

Latitude 25.32662556080

Longitude 83.02247723900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,565.0** व सामान्य कर **392.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,373.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,373.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	811.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HASAN U/G MAHBUL ALI S/O NUR MOHD, NUR JAHAN BIBI W/O

पता A.32/100 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320193-- Property Id. 1A320358001

Latitude 25.32662289340

Longitude 83.02164830120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/100 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,025.0** व सामान्य कर **663.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 864, C= 288	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,989.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR VAK,SAMSUDDIN,HAFIJULLA RAJ MALIK,FAJILAT MOHD,MOHD

पता A.32/101 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8842151469

MIS Id. 07320194-- Property Id. 1A320359001

Latitude 25.32662555060

Longitude 83.02158551240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/101 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,755.0** व सामान्य कर **963.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1650,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,291.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,291.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,452.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIDUNISSA JAUJEY GULJAR AHAMD & GULJAR AHAMD S/O MD

पता A.32/147-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320216A Property Id. 1A320359002

Latitude 25.32662555060

Longitude 83.02158551240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,053.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	499.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,875.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,875.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	316.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKTAR AHAMAD S/O HAZI BASRUDDIN

पता A.32/148 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320217-- Property Id. 1A320361003

Latitude 25.32665865230

Longitude 83.02146886580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/148 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,379.0** व सामान्य कर **262.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,284.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 528,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	268.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MODH.ILIYAS,MUS.MERUNILA D/O MODH.YASHIN W/O NIJAMUDDIN

पता A.32/147 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7368065634

MIS Id. 07320216-- Property Id. 1A320362001

Latitude 25.32667444970

Longitude 83.02140381020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	324.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 972,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	778.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,479.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,479.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	493.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USMAN GANI,KHARSHID ALAM,MAIMUNNISHA,RUKAIYA

पता A.32/146-B-7 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320244-- Property Id. 1A320362002

Latitude 25.32667444970

Longitude 83.02140381020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/146-B-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,525.0** व सामान्य कर **388.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,417.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,639.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,639.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	400.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri. Kursit, Usman Gani

पता A.32/146-B-6 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320243-- Property Id. 1A320362003

Latitude 25.32667444970

Longitude 83.02140381020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/146-B-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **991.0** व सामान्य कर **109.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,417.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	192.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,106.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,106.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	122.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLAH

पता A.32/106-D-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8090772621

MIS Id. 07320146A Property Id. 1A320363001

Latitude 25.32668690870

Longitude 83.02224364210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,589.0** व सामान्य कर **1,825.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,488.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3672,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,938.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,921.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,921.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,861.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम md yasuf s/o md nabi

पता A.32/106-D-4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320138A Property Id. 1A320363002

Latitude 25.32668690870

Longitude 83.02224364210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,635.0** व सामान्य कर **730.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,488.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIRULLA S/O BARKAT ULLA

पता A.32/154-A-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320254-- Property Id. 1A320365002

Latitude 25.32673911990

Longitude 83.02104690220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/154-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,318.0** व सामान्य कर **365.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	985.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	608.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRUDDIN

पता A.32/146-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320248A Property Id. 1A320367001

Latitude 25.32673276570

Longitude 83.02113309480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/146-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,110.0** व सामान्य कर **342.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	645.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1677,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,342.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,694.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,694.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	956.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALIULLA S/O BARKATULLA, ALINUNNISA D/O BARKATULLA

पता A.32/154-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320253-- Property Id. 1A320367003

Latitude 25.32673276570

Longitude 83.02113309480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/154-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,187.0** व सामान्य कर **131.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	885.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 264, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,217.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,217.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	134.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI AMIRULLA,NURUL HAQ,SAMASUL HAQ PURAN

पता A.31/83 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07310316-- Property Id. 1A320368002

Latitude 25.32673869030

Longitude 83.02091200990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.31/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,616.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,298.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	633.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMAD S/O NURUDDIN, AYESA BIBI, FATMA BIBI, AMNA BIBI

पता A.32/146-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320247-- Property Id. 1A320370002

Latitude 25.32672279360

Longitude 83.02130255460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/146-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,011.0** व सामान्य कर **441.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	835.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,199.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,199.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	462.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID (MINOR)ASAFAT BIBI,NAJIR AHAMAD,MAIMAN D/O

पता A.32/145 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335182212

MIS Id. 07320250-- Property Id. 1A320371001

Latitude 25.32673245030

Longitude 83.02119278980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/145 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,907.0** व सामान्य कर **1,090.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3200,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,215.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,215.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,784.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USMAN GANI KHURSEED ALAM MAIMUNISSA RUKAIYYA BIBI

पता A.32/145-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320252-- Property Id. 1A320371002

Latitude 25.32673245030

Longitude 83.02119278980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/145-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,944.0** व सामान्य कर **654.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,605.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REYAJUDDIN S/O LATE MOHD.HANIF,SAFIYA BIBI W/O MAKBUL

पता A.32/106-C-1- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9696406344

MIS Id. 07170048-- Property Id. 1A320372002

Latitude 25.32660850480

Longitude 83.02261946350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-C-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,336.0** व सामान्य कर **807.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,201.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1296,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,037.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,465.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,465.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	821.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSHTAK AHMAD S/O HAJI ABDUL MAJID

पता A.32/106-B-1-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320161B Property Id. 1A320374001

Latitude 25.32674993460

Longitude 83.02247663350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-B-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,598.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,791.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,654.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,654.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	292.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN,USMAN ALI S/O HAZI ABDUL ALI,BAKSIS AHAMAD S/O

पता A.32/107 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320136-- Property Id. 1A320377001

Latitude 25.32675586060

Longitude 83.02186944500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/107 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,932.0** व सामान्य कर **323.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANUL HIDA S/O LATE ABDUL AJIJ ,JAHIRUNISHA W/O ANUL HODA

पता A.32/103 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320128-- Property Id. 1A320379003

Latitude 25.32681240710

Longitude 83.02166595910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/103 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,337.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2496,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,997.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,265.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABUL JABBAR, MOHD AYUB, SAMIULLA, MOHD

पता A.32/102 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320126-- Property Id. 1A320381001

Latitude 25.32683542950

Longitude 83.02155626930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/102 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,876.0** व सामान्य कर **976.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3300, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,206.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,206.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,673.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISHA BIBI D/O VALIULLAH

पता A.32/142-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320125-- Property Id. 1A320381002

Latitude 25.32683542950

Longitude 83.02155626930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/142-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,530.0** व सामान्य कर **608.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	811.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1280,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,024.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,898.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,898.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	649.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASSAN, NURUL HASSAN, SHAKIL AHAMAD, VAKIL AHAMAD

पता A.32/142-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320123-- Property Id. 1A320382001

Latitude 25.32684324270

Longitude 83.02151059610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/142-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,963.0** व सामान्य कर **436.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1260, C= 420	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,008.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,369.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,369.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,901.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.BADRUNNISA D/O ABDULA W/O MUINUDDIN

पता A.32/106-D-1-X Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320141-- Property Id. 1A320383001

Latitude 25.32686449450

Longitude 83.02203892900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,131.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	728.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 225,C= 225	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	180.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,053.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,053.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,326.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HAQ S/O LATE ABDUL MAJID

पता A.32/106-B-4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320140-- Property Id. 1A320384001

Latitude 25.32686599180

Longitude 83.02209668760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,609.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1200,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,114.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,114.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,763.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IDRISH,HAZI ALIMUDDIN,HAZI NURUL HASAN SS/O HAZI ASGAR ALI

पता A.32/106-G+106+F+106-F-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320155-- Property Id. 1A320385001

Latitude 25.32687324720

Longitude 83.02237060930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-G+106+F+106-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **34,912.0** व सामान्य कर **3,840.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,550.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 7650,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	6,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,251.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,251.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,878.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O HAJI ABDUL MAJID

पता A.32/106-B-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7309386914

MIS Id. 07320158-- Property Id. 1A320386001

Latitude 25.32681261520

Longitude 83.02226057720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,435.0** व सामान्य कर **488.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	780.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	507.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHMAD S/O HAJI ABDUL MAJID

पता A.32/106-B-1-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9601575134

MIS Id. 07320161C Property Id. 1A320387001

Latitude 25.32688922710

Longitude 83.02217161800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,598.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	664.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 280,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	224.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	788.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IDRIS S/O ABDUL RAHAMAN

पता A.32/106-A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320139-- Property Id. 1A320387002

Latitude 25.32688922710

Longitude 83.02217161800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,584.0** व सामान्य कर **174.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	661.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 360,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	288.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,659.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,659.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	182.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O ISHAK

पता A.32/142 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8960391080

MIS Id. 07320124-- Property Id. 1A320388001

Latitude 25.32685774620

Longitude 83.02143629580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/142 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,696.0** व सामान्य कर **627.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 2608,C= 32	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,086.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,488.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,488.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,374.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJVANA BIBI W/O LATE RIYAJ AHMAD,JIYA TAUFIK,DANISH

पता A.32/138-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320121C Property Id. 1A320389001

Latitude 25.32692154280

Longitude 83.02134411460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/138-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,133.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,151.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 704,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	563.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,244.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,244.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	357.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHMAD ABDUL AJIJ SS/O AMIR AHMAD

पता A.32/106-F-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7571902346

MIS Id. 07320160A Property Id. 1A320390001

Latitude 25.32688808670

Longitude 83.02252190700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,216.0** व सामान्य कर **1,014.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,030.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,437.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,437.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,038.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKBAR ALI ASGAR ALI

पता A.32/106-F-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320151A Property Id. 1A320390002

Latitude 25.32688808670

Longitude 83.02252190700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,128.0** व सामान्य कर **1,774.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,030.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2812,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,250.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,197.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,197.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,782.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEMTULLAH S/O MUSTAFA

पता A.32/106-H-1-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320085A Property Id. 1A320390003

Latitude 25.32688808670

Longitude 83.02252190700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-H-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,128.0** व सामान्य कर **1,774.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,030.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2812,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,250.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,197.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,197.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,782.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUDAITUL KUBRA W/O LATE NAZIR

पता A.32/137 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320120-- Property Id. 1A320391001

Latitude 25.32694967840

Longitude 83.02125912400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/137 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,216.0** व सामान्य कर **1,014.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,677.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,677.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,064.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAVED AHMAD S/O MAULANA MUNIRUDDIN

पता A.32/137-J Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320120A Property Id. 1A320391002

Latitude 25.32694967840

Longitude 83.02125912400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/137-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,456.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,358.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 608,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	486.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFAR S/O MOHD ILIYAS

पता A.32/106-E Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320156-- Property Id. 1A320392001

Latitude 25.32696586890

Longitude 83.02231103390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,682.0** व सामान्य कर **845.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AJIJ, ABDUL MAJID, AINUL HODA SS/O HAJI MATIULLA

पता A.32/106-E-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320157-- Property Id. 1A320392002

Latitude 25.32696586890

Longitude 83.02231103390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-E-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,110.0** व सामान्य कर **892.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,157.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1792, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,434.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	908.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADARSA BAHURULLA LAUM JARIYE SADAR HAJI ABDUL MAJID

पता A.32/106-D-1-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320143-- Property Id. 1A320394001

Latitude 25.32697327660

Longitude 83.02205246480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,212.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 560,C= 560	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	448.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,998.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,998.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,300.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKBOOL ALAM S/O AMANATULLAH

पता A.32/106-H-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320144-- Property Id. 1A320395001

Latitude 25.32697522440

Longitude 83.02212219060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,212.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1000,C= 80	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,783.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,783.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DARUL ULEM AHALEMADARSA,ASARAFIYAN MIS BAHUL,ALUM

पता A.32/110 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320133-- Property Id. 1A320396001

Latitude 25.32695266690

Longitude 83.02167725640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/110 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,137.0** व सामान्य कर **235.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,788.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 480	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,501.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,501.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,585.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHAMD WAKEEL AHAMD EKBAL AHAMD EKHLAK AHAMAD

पता A.32/107-J Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320136A Property Id. 1A320397001

Latitude 25.32692371960

Longitude 83.02186753420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/107-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,600.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	6,213.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,714.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,714.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,179.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUNNISA W/O MOHD HARUN ALIES GOGA

पता A.32/135 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320118-- Property Id. 1A320398001

Latitude 25.32703538380

Longitude 83.02126785200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/135 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,090.0** व सामान्य कर **450.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	416.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	633.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLA S/O SHUKRAULLAH

पता A.32/111-B-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320134-- Property Id. 1A320401001

Latitude 25.32706179400

Longitude 83.02167631630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1120,C= 560	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	896.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,224.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,224.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,655.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIMULLAH S/O MOHD KALLU

पता A.32/111-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9369051619

MIS Id. 07320033A Property Id. 1A320401002

Latitude 25.32706179400

Longitude 83.02167631630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,432.0** व सामान्य कर **2,028.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3280,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,893.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,893.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,078.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLA ALIES SAMIULLA S/O VALI MOHD

पता A.32/106-D-5 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320146-- Property Id. 1A320402001

Latitude 25.32705825500

Longitude 83.02207180490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,240.0** व सामान्य कर **686.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	983.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,739.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,739.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	741.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIKURHAMAN S/O HAZI HAMIJULLA

पता A.32/134 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320117-- Property Id. 1A320403001

Latitude 25.32708366410

Longitude 83.02126260920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/134 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	481.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 962,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	770.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASMATULLA S/O HAJI MOHD.MUSTAFA

पता A.32/140-A-1-H+A.32/140-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8933900314

MIS Id. 07320091-- Property Id. 1A320404001

Latitude 25.32709042330

Longitude 83.02193861710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/140-A-1-H+A.32/140-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,792.0

व सामान्य कर

197.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	880.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,408.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,110.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,110.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	892.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID, ABDUL HAMID, LAILUNNISA SS/O D/O MOHD YASHIN

पता A.32/141 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320101-- Property Id. 1A320410002

Latitude 25.32709372480

Longitude 83.02152732200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/141 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,318.0** व सामान्य कर **1,025.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAJ BIBI W/O MOHD ALI ALIES KALLU ,AMNA BIBI W/O ABDUL

पता A.32/111-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320099-- Property Id. 1A320411001

Latitude 25.32712481840

Longitude 83.02168145660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,506.0** व सामान्य कर **276.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,076.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,654.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,654.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	292.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEMTULLA S/O LATE MOHD MUSTFA

पता A.32/106-D-2-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9389859154

MIS Id. 07320148-- Property Id. 1A320413001

Latitude 25.32713615710

Longitude 83.02207035820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,988.0** व सामान्य कर **549.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop,2_<	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 500,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,966.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,966.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,296.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O LATE MATIULLA

पता A.17/112-B-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8318018775

MIS Id. 07320150-- Property Id. 1A320414001

Latitude 25.32705151270

Longitude 83.02219490390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/112-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,100.0** व सामान्य कर **671.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAZIR AHMAD, VAKIL AHMAD, MUKHTAR AHMAD SS/O LATE

पता A.32/106-D-2-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320149-- Property Id. 1A320414002

Latitude 25.32705151270

Longitude 83.02219490390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-D-2-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,984.0** व सामान्य कर **878.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,423.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1736, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,389.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	880.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNNISA W/O ABDUL RASID

पता A.32/125 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8081430425

MIS Id. 07320100-- Property Id. 1A320417001

Latitude 25.32720015130

Longitude 83.02152195570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/125 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,051.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN S/O ABDUL GAFUR

पता A.32/126-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320109-- Property Id. 1A320417002

Latitude 25.32720015130

Longitude 83.02152195570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/126-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,226.0** व सामान्य कर **355.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,296.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATEH MOHAMMAD, ABDUL SATTAR S/O KHUDA BUX, NURUDDIN

पता A.32/123 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320108-- Property Id. 1A320417003

Latitude 25.32720015130

Longitude 83.02152195570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,776.0** व सामान्य कर **305.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,296.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,949.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,949.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	324.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN

पता A.32/111-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320086-- Property Id. 1A320419002

Latitude 25.32721524040

Longitude 83.02209584290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,564.0** व सामान्य कर **392.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,027.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

वाराणसी नगर निगम
जोनल कार्यालय
Adampur (Z02)



पत्रांक संख्या-2023/24-
दिनांक-

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IDRIS,MOHD ALTAF,SIRAJ AHAMAD,NIYAJ AHMAD ,AJAJ AHMAD

पता A.32/127 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320111-- Property Id. 1A320420001

Latitude 25.32718641900

Longitude 83.02139002120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/127 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,933.0** व सामान्य कर **653.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	630.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 1892,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,514.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,718.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,718.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	959.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHIRA BIBI W/O LATE

पता A.32/122-C-T Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07310214C Property Id. 1A320420002

Latitude 25.32718641900

Longitude 83.02139002120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-C-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,948.0** व सामान्य कर **874.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	378.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 756,C= 378	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,515.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HUMERA KHATUN W/O NIJAMUDDIN

पता A.32/127-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320112-- Property Id. 1A320420003

Latitude 25.32718641900

Longitude 83.02139002120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/127-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,446.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DR.MAJIDUNNISA W/O DR.ANJAR SIDHDIKI

पता A.32/128-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320114A Property Id. 1A320421001

Latitude 25.32719126530

Longitude 83.02124156700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/128-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,849.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,376.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMD S/O ABDUL MAJID

पता A.32/126 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9453222535

MIS Id. 07320110-- Property Id. 1A320421002

Latitude 25.32719126530

Longitude 83.02124156700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/126 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,734.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,376.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,732.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,732.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	411.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KHALIL MATIURHAMAN, ABDUL KHALIK, JAMIL

पता A.32/133 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320115-- Property Id. 1A320421003

Latitude 25.32719126530

Longitude 83.02124156700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/133 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,851.0** व सामान्य कर **314.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,373.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1280, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,024.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,898.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,898.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	649.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHMUDA KHATUN D/O KAMALUDDIN

पता A.32/128-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320113-- Property Id. 1A320422001

Latitude 25.32718611390

Longitude 83.02131469400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/128-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 950.0 व सामान्य कर 105.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,306.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	995.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	995.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	109.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN NIJAMUDDIN IMANUDDIN SS/O HAJI MOHD

पता A.32/115-I-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320076-- Property Id. 1A320423001

Latitude 25.32720334250

Longitude 83.02259300580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-I-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,944.0** व सामान्य कर **654.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 2625,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,100.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	47,376.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	47,376.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,211.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHJABIN BIBI W/O MAHMUDUL HASAN

पता A.17/115-A-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320078-- Property Id. 1A320424001

Latitude 25.32720273230

Longitude 83.02247623670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/115-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,963.0** व सामान्य कर **436.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,008.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,055.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,055.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	446.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Jabiulla S/o Sanaulla

पता A.17/117-J-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320081-- Property Id. 1A320425001

Latitude 25.32720435600

Longitude 83.02241366580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/117-J-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,615.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,654.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,654.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	292.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISSA W/O LATE IMANUDDIN SS/O HAJI MOHD ASHRAF ALI

पता A.32/115-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320080-- Property Id. 1A320426001

Latitude 25.32720454060

Longitude 83.02235675740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,294.0** व सामान्य कर **912.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRULLA S/O FATEH MOHD.MOHD.YASEEN,ABDUL

पता A.17/117 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320082-- Property Id. 1A320426002

Latitude 25.32720454060

Longitude 83.02235675740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/117 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,360.0** व सामान्य कर **480.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	886.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 968,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,461.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,461.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	491.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHMUDA KHATOON W/O KAMRUDDIN

पता A.17/111 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8303127197

MIS Id. 07320068-- Property Id. 1A320427001

Latitude 25.32720666000

Longitude 83.02227885330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/111 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **709.0** व सामान्य कर **78.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,344.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,949.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,949.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	324.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARUKH, HARUN ABDUL MATI SS/O SAMIULLA, BADRUNNISA W/O

पता A.32/114-D-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8957278533

MIS Id. 07320061-- Property Id. 1A320428001

Latitude 25.32720841780

Longitude 83.02220276080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,472.0** व सामान्य कर **602.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASMTULLA S/OHAJI MOHD.MUSTAFA

पता A.32/106-H-1-H-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320085-- Property Id. 1A320428002

Latitude 25.32720841780

Longitude 83.02220276080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-H-1-H-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,960.0** व सामान्य कर **876.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,159.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1736,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,389.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	880.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIYAJUDDIN,ADBUL RAHIM,RABIYA BIBI,MUSTKIMA BIBI,NUR BIBI

पता A.32/111-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320087-- Property Id. 1A320429001

Latitude 25.32726157620

Longitude 83.02210046570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,481.0** व सामान्य कर **493.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	945.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1400,C= 700	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	40,723.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	40,723.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,480.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUN BIBI W/O LATE HAZI MOHD KHALIL, VALIMULLA,

पता A.32/111-A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320093-- Property Id. 1A320430001

Latitude 25.32723156050

Longitude 83.02181647490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,020.0** व सामान्य कर **662.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,776.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,776.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	855.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHMAD S/O USMAN AHMAD

पता A.32/111 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9369051619

MIS Id. 07320099A Property Id. 1A320430002

Latitude 25.32723156050

Longitude 83.02181647490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,567.0** व सामान्य कर **172.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,003.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 352,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	282.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,622.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,622.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	178.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHABJADI W/O LATE

पता A.32/120-C-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320103-- Property Id. 1A320431004

Latitude 25.32724450790

Longitude 83.02165758230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,548.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	468.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN,SAMSUDDIN,IKRAMUDDIN,SS/O HAZI ABDUL HASSAN

पता A.32/140-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9889537449

MIS Id. 07320088-- Property Id. 1A320432001

Latitude 25.32724368540

Longitude 83.02195158000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/140-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,833.0** व सामान्य कर **1,962.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 6300,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	73,094.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	73,094.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,964.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN, EKRAMUDDIN S/O ABUL HASAN

पता A.32/111-A-2-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320093A Property Id. 1A320432002

Latitude 25.32724368540

Longitude 83.02195158000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,133.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,427.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMIM AKHTAR,VASIM AKHTAR SS/O MOHD.ISKAM,MINOR AARIF

पता A.32/123-B-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320041B Property Id. 1A320433001

Latitude 25.32729958060

Longitude 83.02147911250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123-B-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,828.0** व सामान्य कर **201.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,493.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,044.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,044.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NARGIS W/O NASIM AHMAD

पता A.32/123-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320108A Property Id. 1A320433002

Latitude 25.32729958060

Longitude 83.02147911250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,036.0** व सामान्य कर **114.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,493.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 405,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	324.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,333.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,333.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	257.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O SUBRATI, SHAHABUDDIN S/O LATE AJIMULLA

पता A.32/123-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320107-- Property Id. 1A320433003

Latitude 25.32729958060

Longitude 83.02147911250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1280, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,024.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,898.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,898.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	649.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN

पता A.32/124-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320105-- Property Id. 1A320433006

Latitude 25.32729958060

Longitude 83.02147911250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/124-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **894.0** व सामान्य कर **98.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	304.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 608,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	486.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O AJIMUDDIN

पता A.32/124-A+A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320104-- Property Id. 1A320433007

Latitude 25.32729958060

Longitude 83.02147911250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/124-A+A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,491.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 756,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,919.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,919.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	431.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI,NURUL HODA SS/O HAFIJ MATIULLA

पता A.32/114-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320052-- Property Id. 1A320434001

Latitude 25.32731870880

Longitude 83.02196861120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,662.0** व सामान्य कर **623.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,258.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1258,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,006.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,797.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,797.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	638.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAFTAB AHMAD S/O HAJI FAKHRUDDIN

पता A.17/117-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320075-- Property Id. 1A320436001

Latitude 25.32733684140

Longitude 83.02257763570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/117-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,069.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.BADRUNISHA D/O AKBAR ALI

पता A.17/117-C-X Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320074-- Property Id. 1A320436002

Latitude 25.32733684140

Longitude 83.02257763570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/117-C-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,168.0** व सामान्य कर **348.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKIL AHAMD U/G ANARULLAH & VILAYET ANARULLAH

पता A.32/114-D-2-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170014-- Property Id. 1A320437001

Latitude 25.32731400620

Longitude 83.02271058440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-2-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,640.0** व सामान्य कर **950.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,176.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,536.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,847.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,847.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	973.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA S/O AZIMULLA, QAMRUDEEN S/O MATIULLA S/O

पता A.17/117-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320069-- Property Id. 1A320438001

Latitude 25.32731898860

Longitude 83.02241773050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/117-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,637.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	690.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2070,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,656.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,539.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,539.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,049.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GUJRATAN BIBI W/O LATE RAHAMATULLA, ABDUL AJIJ (MINOR) S/O

पता A.32/123-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320106-- Property Id. 1A320440001

Latitude 25.32735312960

Longitude 83.02148771660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,477.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 702, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,639.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,639.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	400.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YASIN S/O LATE MOINUDDIN

पता A.32/114-D-4-4-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340756A Property Id. 1A320441001

Latitude 25.32732956920

Longitude 83.02228885980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-4-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,948.0** व सामान्य कर **874.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,264.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1392,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,114.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,018.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,018.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	882.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIYAJUDDIN S/O HAZI ABDUL SHAKUR

पता A.32/114-A-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320059-- Property Id. 1A320442001

Latitude 25.32736231960

Longitude 83.02210244090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,926.0** व सामान्य कर **872.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	859.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1592,C= 208	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,274.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,520.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,520.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,927.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ajijunisha W/o Aminudin

पता A.32/114-D-2-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170013-- Property Id. 1A320447001

Latitude 25.32740945370

Longitude 83.02270812370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,671.0** व सामान्य कर **294.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,306.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 480,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	384.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,765.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,765.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	304.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IKBAL AHAMAD, JAMIL AHAMAD, VAKIR AHMAD (MINOR) SS/O

पता A.32/114-D-2- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170012-- Property Id. 1A320447002

Latitude 25.32740945370

Longitude 83.02270812370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-2- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **40,896.0** व सामान्य कर **4,499.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,368.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2000, C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	60,480.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	60,480.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,072.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUMIYA BEGAM W/O KALLU KHAN

पता A.32/120-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320044-- Property Id. 1A320448001

Latitude 25.32747160690

Longitude 83.02154894760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,267.0** व सामान्य कर **139.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,272.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 747,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	598.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	379.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARAFRAJ AHMAD S/O HAJI ABDUL AJIJ

पता A.32/123+123-B+123-C-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320108B Property Id. 1A320448003

Latitude 25.32747160690

Longitude 83.02154894760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/123+123-B+123-C-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,232.0** व सामान्य कर **356.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK

पता A.32/116-A-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320034A Property Id. 1A320448005

Latitude 25.32747160690

Longitude 83.02154894760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,273.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2248,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,798.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,151.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,151.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,217.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HAQ S/O JAMALU

पता A.32/120-B-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320043-- Property Id. 1A320448006

Latitude 25.32747160690

Longitude 83.02154894760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,201.0** व सामान्य कर **352.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,270.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLA S/O BARAKATULLAH

पता A.32/121-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320042B Property Id. 1A320448007

Latitude 25.32747160690

Longitude 83.02154894760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/121-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,813.0** व सामान्य कर **969.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,273.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,536.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,847.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,847.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	973.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJRUL ISLAM,IJHARUL ISLAM S/O LATE BASIR

पता A.32/120-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8858148171

MIS Id. 07320045-- Property Id. 1A320449001

Latitude 25.32743915540

Longitude 83.02163379330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,435.0** व सामान्य कर **488.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	48,211.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	48,211.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EBADURRAHMAN S/O HAJI MOHD.YUNUS ALIAS MAINA,NASIM

पता A.32/116-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7275071210

MIS Id. 07340767B Property Id. 1A320449002

Latitude 25.32743915540

Longitude 83.02163379330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,336.0** व सामान्य कर **697.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,557.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1122,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	898.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,463.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,463.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	711.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJIK, SIDDIKULLA, ALIMUNNISA W/O LATE SIDDIK

पता A.32/116 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320050-- Property Id. 1A320450001

Latitude 25.32744269920

Longitude 83.02174385350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,379.0** व सामान्य कर **262.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1050, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIRUNNISA, JAIKUNNISA, KAMRUNNISA S/O D/O DULLA, SHAHABJADI

पता A.32/120-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320047-- Property Id. 1A320450002

Latitude 25.32744269920

Longitude 83.02174385350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,488.0** व सामान्य कर **274.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,417.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2380, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,904.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,206.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O RAMJAN ALI

पता A.32/119 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320048-- Property Id. 1A320450003

Latitude 25.32744269920

Longitude 83.02174385350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/119 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,060.0** व सामान्य कर **117.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,417.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	192.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,106.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,106.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	122.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN,JALAUDDIN, RAMJAN SS/O SHUKRULLA.KHAIRUNNISA

पता A.32/109 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7318062101

MIS Id. 07320131-- Property Id. 1A320450004

Latitude 25.32744269920

Longitude 83.02174385350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/109 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,138.0** व सामान्य कर **235.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,177.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,177.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	239.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAZLA KHATOON W/O MOHD.ISMAIL

पता A.32/119-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9369097131

MIS Id. 07320048C Property Id. 1A320451001

Latitude 25.32747389830

Longitude 83.02183220710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/119-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,168.0** व सामान्य कर **348.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	683.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 560,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	448.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,226.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,226.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	355.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MATIULLA S/O LATE HAJI AHMEDULLA

पता A.32/121-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320041C Property Id. 1A320452001

Latitude 25.32750312760

Longitude 83.02144226490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/121-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,440.0** व सामान्य कर **158.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	820.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,875.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,875.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	646.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT HADI HSANA KASIM HASAN & KASIMUL HASAN BALIGAN

पता A.32/121 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9125287727

MIS Id. 07320042A Property Id. 1A320452002

Latitude 25.32750312760

Longitude 83.02144226490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/121 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,267.0** व सामान्य कर **689.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	823.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1392,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,114.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,414.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,414.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	706.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIRUDDIN S/O RAHAMATULLA

पता A.32/114-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8840187304

MIS Id. 07320053-- Property Id. 1A320453001

Latitude 25.32746345740

Longitude 83.02190719200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,494.0** व सामान्य कर **274.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1150,C= 50	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,033.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,033.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	664.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN

पता A.32/114-A-7 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9389615439

MIS Id. 07320060A Property Id. 1A320454001

Latitude 25.32747622540

Longitude 83.02197821720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-A-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,432.0** व सामान्य कर **2,028.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3080,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,464.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,616.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,616.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,598.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHMAD,FAIJURRAHMAN S/O AINUL HODA,KHUSHBUNNISHA

पता A.32/114-D-10 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320071-- Property Id. 1A320455001

Latitude 25.32746617680

Longitude 83.02249804790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,320.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	640.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,318.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,318.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	365.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN JAINUL ABDIN SS/O JALALUDDIN.BASHRUNNISA S/O

पता A.32/114-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320057-- Property Id. 1A320456002

Latitude 25.32748519650

Longitude 83.02209047430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,335.0** व सामान्य कर **147.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	975.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,666.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,666.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	513.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFINNISA BIBI, JAHID ALI

पता A.32/114-D-1- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320056-- Property Id. 1A320456004

Latitude 25.32748519650

Longitude 83.02209047430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,011.0** व सामान्य कर **441.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,199.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,199.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	462.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O SIDDIKULLAH

पता A.32/114-D-4-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320064-- Property Id. 1A320458001

Latitude 25.32748163140

Longitude 83.02221608770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,089.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop,2_<	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 640,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	39,375.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	39,375.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASHRUDDIN S/O SIDDIK ULLA

पता A.32/114-D-4-K-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320066-- Property Id. 1A320458002

Latitude 25.32748163140

Longitude 83.02221608770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,751.0** व सामान्य कर **193.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	608.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHAMD EKBAL AHAMD MUKHTAR AHAMD JULEKHA BIBI SS/O

पता A.32/114-D-4-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320065B Property Id. 1A320458003

Latitude 25.32748163140

Longitude 83.02221608770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,667.0** व सामान्य कर **1,723.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,092.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,981.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,981.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,758.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN ,SIRAJUDDIN,NIJAMUDDIN ,JAHABDDIN SS/O LATE HAZI
पता A.32/114-D-4-3 Chhittanpura
नया वार्ड W080 Omkaleshvar पुराना वार्ड W082 मोबाईल नं०
MIS Id. 07320065-- Property Id. 1A320459001 Latitude 25.32747163330 Longitude 83.02237453190

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 1,751.0 व सामान्य कर 193.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,719.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 384,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	307.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,769.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,769.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	195.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIM AKTAR,NASIM AKHTAR,KALIM AKHTAR,MOINUDDIN(MINER)

पता A.32/116-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320035-- Property Id. 1A320462001

Latitude 25.32761838010

Longitude 83.02193642500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,405.0** व सामान्य कर **1,255.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,925.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3850,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,958.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,958.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,195.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASHRUDDIN S/O MOHAMMAD

पता A.32/116-B-4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320036-- Property Id. 1A320462002

Latitude 25.32761838010

Longitude 83.02193642500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,612.0** व सामान्य कर **617.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,153.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,910.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,910.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	650.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. S/O ILAHI, SIDRUDDIN S/O JUMMAN, NUR JAHAN W/O LATE

पता A.32/116-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320034-- Property Id. 1A320463002

Latitude 25.32764689240

Longitude 83.02208200640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,621.0** व सामान्य कर **838.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,383.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1508, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,206.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,817.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,817.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	860.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRULLA S/O RAHAMAN,TAJ BIBI ,MOHD ILIYAS,ABDUL

पता A.32/136 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320119-- Property Id. 1A320464002

Latitude 25.32763808110

Longitude 83.02154546400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/136 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,608.0** व सामान्य कर **507.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3910,C= 90	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,339.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,339.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,127.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHAMAD S/O HAJI NEYAMATULLAH

पता A.32/116-B-4-A-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320040-- Property Id. 1A320464003

Latitude 25.32763808110

Longitude 83.02154546400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-B-4-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,530.0** व सामान्य कर **608.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,520.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	633.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MAKBUL HASAN,HAZI ANUL HASAN SS/O HAZI AKBAR ALI,HAZI

पता A.32/120-B-4-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320038-- Property Id. 1A320465001

Latitude 25.32763255810

Longitude 83.02167130830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B-4-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,216.0** व सामान्य कर **1,014.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 5600,C= 1800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	78,682.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	78,682.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,802.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANARULLA S/O SIDDIKULLA, AYESA BIBI W/O

पता A.32/115-C-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320032-- Property Id. 1A320466001

Latitude 25.32765924570

Longitude 83.02217586940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,216.0** व सामान्य कर **1,014.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,138.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,138.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,115.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASEED S/O LATE BADRUDDIN

पता A.32/116-C-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320041A Property Id. 1A320466002

Latitude 25.32765924570

Longitude 83.02217586940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,330.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,257.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,257.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,348.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRULLA S/O HAZI SHAFIULLA, KAMRUNNISA D/O MOHD AYUB

पता A.32/115-C-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320033-- Property Id. 1A320467001

Latitude 25.32766847930

Longitude 83.02223473630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-C-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,332.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1332, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,066.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,138.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,138.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	675.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHID JAMAL RUKHSANA BIBI S/O & D/O HAJI WAKIL AHAMD

पता A.32/114-F Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9369355928

MIS Id. 07320029-- Property Id. 1A320468001

Latitude 25.32766600340

Longitude 83.02240777440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,206.0** व सामान्य कर **793.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SARIF S/O HAFIJ ANARULLA

पता A.32/115-C-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320031-- Property Id. 1A320468002

Latitude 25.32766600340

Longitude 83.02240777440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	992.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,790.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,790.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	527.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIYA BIBI D/O SANA ULLA, MOHD ISLAM, ABDUL KALAM S/O MOHD

पता A.32/138 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320121-- Property Id. 1A320469002

Latitude 25.32766781340

Longitude 83.02231131210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/138 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,776.0** व सामान्य कर **305.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARAKATULLAH S/O ABDUL GAFUR S/O HAISAR

पता A.32/116-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320035B Property Id. 1A320469003

Latitude 25.32766781340

Longitude 83.02231131210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,223.0** व सामान्य कर **1,345.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,841.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,257.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,257.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,348.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAYASUDDIN S/O LATE MODH.ISHAK

पता A.32/114-D-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320027-- Property Id. 1A320472002

Latitude 25.32772752270

Longitude 83.02270674660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,304.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,893.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,918.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,810.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,810.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,849.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O MOHD HANIF

पता A.32/114-F-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320026-- Property Id. 1A320473002

Latitude 25.32770125020

Longitude 83.02262838410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,074.0** व सामान्य कर **228.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,497.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 468	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,913.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,913.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,520.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR JAHAN BEGAM W/O LATE HAZI AFATAB AHAMAD

पता A.32/120-B-2-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320007-- Property Id. 1A320475001

Latitude 25.32778799430

Longitude 83.02167628470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,993.0** व सामान्य कर **219.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	528.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,041.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,041.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	335.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAMINA BIBI W/O VASIM AHMAD

पता A.32/120 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320046-- Property Id. 1A320476001

Latitude 25.32778596720

Longitude 83.02156417950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,301.0** व सामान्य कर **363.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID S/O BADRUDDIN

पता A.32/115-D-6 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9305018690

MIS Id. 07320018-- Property Id. 1A320477001

Latitude 25.32779112790

Longitude 83.02222204200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,970.0** व सामान्य कर **767.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1708,C= 420	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,366.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,128.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLAH S/O AFIKULLAH

पता A.32/115-D-4-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9421081219

MIS Id. 07320008B Property Id. 1A320478005

Latitude 25.32783319850

Longitude 83.02244619990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-4-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,639.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2448,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,280.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,280.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,241.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISMAIL S/O YAR MOHD.

पता A.32/120-D-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320046B Property Id. 1A320479002

Latitude 25.32789386470

Longitude 83.02169532220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-D-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,980.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	544.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 360,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	288.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,074.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,074.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	228.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJUL RAHMAN S/O LATE MOLVI KARIMUDDIN

पता A.32/115-D-7-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320018A Property Id. 1A320480003

Latitude 25.32783867560

Longitude 83.02233486200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-7-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,008.0** व सामान्य कर **221.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,157.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 360,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	288.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,074.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,074.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	228.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHJADI W/O LATE

पता A.32/120-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320100A Property Id. 1A320481001

Latitude 25.32789653780

Longitude 83.02162019500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,221.0** व सामान्य कर **684.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	948.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,104.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,359.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,359.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	699.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNNISA W/O BADRUDDIN

पता A.32/115-D-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320017-- Property Id. 1A320482001

Latitude 25.32790089540

Longitude 83.02221561350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,266.0** व सामान्य कर **359.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,503.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,359.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,359.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	369.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABDUL HAMID S/O LATE BADRUDDIN

पता A.32/115-D-4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320016-- Property Id. 1A320482002

Latitude 25.32790089540

Longitude 83.02221561350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,009.0** व सामान्य कर **221.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,931.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 396,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	317.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,053.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,053.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	226.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SATTAR, ABDUL SALAM, GAFFAR SS/O MOHMAD

पता A.32/115-D-4- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320017D Property Id. 1A320482003

Latitude 25.32790089540

Longitude 83.02221561350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-4- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,843.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,934.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USMAN GANI,MD.SALIM,AMEEN AKHTAR,SHAMIM AKHTAR,NASEEM

पता A.32/116-B-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320014-- Property Id. 1A320483002

Latitude 25.32784292930

Longitude 83.02202237910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,970.0** व सामान्य कर **767.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	7,312.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1560,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,248.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,188.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,188.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	791.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKBUL HASAN S/O LATE NIJAMUDDIN

पता A.32/122-M-17 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320009-- Property Id. 1A320484003

Latitude 25.32783565650

Longitude 83.02181782700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-M-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,152.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	6,447.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 210,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	168.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,210.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,210.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	133.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALTAFURRAHMAN S/O LATE HAJI AHMAD, SHAKIL AHMAD, VAKIL

पता A.32/122-A-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340642-- Property Id. 1A320485001

Latitude 25.32804071240

Longitude 83.02183236970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	7,948.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1056, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUNNISA W/O AMINUDDIN

पता A.32/104-D-2-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320129-- Property Id. 1A320488001

Latitude 25.32676371240

Longitude 83.02176887840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/104-D-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,382.0** व सामान्य कर **152.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	602.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	256.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,475.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,475.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	162.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA MUKHTAR AHAMD ALI HUSSAIN S/O MOHD.ALI

पता A.32/106-C-4 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170046-- Property Id. 1A320493001

Latitude 25.32673928070

Longitude 83.02260103670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-C-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,926.0** व सामान्य कर **872.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,461.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1736,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,389.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	880.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISAHAK BABU, RAHIMA BIBI W/O AJIMULLA, IBRAHIM S/O SIDDIK

पता A.32/104 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320130-- Property Id. 1A320495001

Latitude 25.32688732990

Longitude 83.02225642370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/104 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,137.0** व सामान्य कर **235.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 540, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,488.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,488.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	274.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD ASLAM MD EKRAM MD EKBAL MD FARUKH OTHERS

पता A.32/106-I Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320138-- Property Id. 1A320497002

Latitude 25.32688984120

Longitude 83.02222276390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,797.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,977.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,977.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	547.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASJID

पता A.32/106 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7007294808

MIS Id. 07170047-- Property Id. 1A320498001

Latitude 25.32682891970

Longitude 83.02216300860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,676.0** व सामान्य कर **1,064.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	425.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,792.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,792.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,077.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRIFUNNISA W/O QAMRUDEEN

पता A.17/110-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320084-- Property Id. 1A320499001

Latitude 25.32712912070

Longitude 83.02214853020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/110-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,845.0** व सामान्य कर **313.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	756.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2268,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,814.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,150.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJAT BIBI W/O LATE LATIF,LAL MOHD,FATEH MOHD,AMNA

पता A.32/110-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320132-- Property Id. 1A320499002

Latitude 25.32712912070

Longitude 83.02214853020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/110-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,944.0** व सामान्य कर **654.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	573.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,083.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,083.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	669.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENAMUL HASAN S/O MAHFUJUL HAK

पता A.32/106-E-K-E-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8318961207

MIS Id. 07320157C Property Id. 1A320501001

Latitude 25.32710662360

Longitude 83.02229659260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-E-K-E-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,408.0** व सामान्य कर **265.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 528,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	268.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUZAFFARUDDIN AHMAD S/O MD SAMIULLAH AMJADI

पता A.32/114-D-1-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320060-- Property Id. 1A320504001

Latitude 25.32730635590

Longitude 83.02213783160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-1-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,765.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 832,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	666.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,834.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,834.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	422.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASIULLA S/O VALI ULLA

पता A.32/43-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320506-- Property Id. 1A320509001

Latitude 25.32506967730

Longitude 83.02144262720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/43-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIDA BIBI W/O ZIKRULLAH

पता A.32/36-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320509-- Property Id. 1A320512001

Latitude 25.32494074150

Longitude 83.02115550990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/36-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,981.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	352.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 480,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	384.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,212.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,212.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	243.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK,SALIYA,KAMRUNNISA,NURUNNISA ALIYA BIBI S/O D/O HAZI

पता A.32/146-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320246-- Property Id. 1A320515001

Latitude 25.32670442850

Longitude 83.02134395940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/146-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,226.0** व सामान्य कर **355.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,424.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,424.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	487.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MODH.YUNUS ALIES MAINA ,MAKBUL HASSAN,ANUL HASSAN S/O

पता A.32/95 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320189-- Property Id. 1A320517001

Latitude 25.32633691800

Longitude 83.02183472200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/95 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,020.0** व सामान्य कर **992.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,464.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,464.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,471.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MAHFUJUL HAQ S/O LATE HAZI NURUL HAQ

पता A.32/92-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320184-- Property Id. 1A320518001

Latitude 25.32617255620

Longitude 83.02188588060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/92-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,589.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,589.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,825.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUL HAQ,NURUL HAQ,ANWARUL HASAN,NERUL

पता A.32/92 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320186-- Property Id. 1A320519001

Latitude 25.32617383410

Longitude 83.02182868590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/92 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,088.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,686.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,686.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	405.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUDDIN S/O SERAJUDDIN

पता A.32/90-J Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320181A Property Id. 1A320521001

Latitude 25.32599624870

Longitude 83.02181563800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/90-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,776.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,776.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	855.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHARIF,ABDUL HAKIM SS/O AJIMULLA,BAITUL HASAN S/O

पता A.32/76 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9616898073

MIS Id. 07320325-- Property Id. 1A320522001

Latitude 25.32589750140

Longitude 83.02201003750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/76 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,647.0** व सामान्य कर **731.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ABDUL SATTAR

पता A.32/88 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320174-- Property Id. 1A320523001

Latitude 25.32619193050

Longitude 83.02198319140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/88 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,488.0** व सामान्य कर **274.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	520.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1040,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	832.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,391.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,391.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	593.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HAK

पता A.32/90-1-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320183A Property Id. 1A320525001

Latitude 25.32608734080

Longitude 83.02197042660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/90-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2790,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,768.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HANIF,IKABAL AHAMAD.GULAM.RASUL,MOINUDDIN SS/O LATE

पता A.32/216-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320370-- Property Id. 1A320526001

Latitude 25.32562608960

Longitude 83.02138886200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/216-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,667.0** व सामान्य कर **293.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	280.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 714,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	571.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,290.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,290.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	362.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSIR ALI,HAVIVURHAMAN,JAHIRUNNISA,KHUSBUNNISA,MOHD

पता A.32/171 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320284-- Property Id. 1A320529001

Latitude 25.32590798190

Longitude 83.02080044600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/171 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,538.0** व सामान्य कर **719.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	480.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,636.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,636.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	730.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARIDUDDIN S/O HAJI RAHAMATULLAH

पता A.32/159-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320261A Property Id. 1A320530001

Latitude 25.32647287920

Longitude 83.02100312720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/159-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,416.0** व सामान्य कर **926.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1980,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,584.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,124.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,124.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,004.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI KHARIRUDDIN S/O HAZI RAHAMATULLA

पता A.32/159 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320261-- Property Id. 1A320530002

Latitude 25.32647287920

Longitude 83.02100312720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/159 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,516.0** व सामान्य कर **497.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	945.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1890,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	958.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMD S/O HAJI MD HANIF

पता A.32/64-H Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330057-- Property Id. 1A321482002

Latitude 25.32476894920

Longitude 83.02205493340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,458.0** व सामान्य कर **710.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,517.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1425,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,140.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMNA BIBI W/O SAFIUREHMAN MAHFUJUREHMAN

पता A.32/64-A-1-X-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330054C Property Id. 1A321484001

Latitude 25.32477207440

Longitude 83.02232317390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-A-1-X-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,636.0** व सामान्य कर **1,390.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2760,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,208.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,593.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,593.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,045.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O HAJI SAFIURAHAMAN

पता A.32/64-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330059-- Property Id. 1A321485001

Latitude 25.32479561690

Longitude 83.02245128500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 6000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,560.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,560.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,802.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HANIF S/O HAZI SAFIURHMAN

पता A.32/64-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330060-- Property Id. 1A321485002

Latitude 25.32479561690

Longitude 83.02245128500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,357.0** व सामान्य कर **1,139.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,823.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2496,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,997.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,939.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,939.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,423.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHMAD S/O MUNIRUDDIN

पता A.32/64-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8707566955

MIS Id. 07330062A Property Id. 1A321486001

Latitude 25.32493136130

Longitude 83.02209222490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,636.0** व सामान्य कर **1,390.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2600,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,560.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,560.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,802.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI SAFIURHMAN, NIJUNNISA W/I LATE ABDU RAUF, BAKIL

पता A.32/64-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330056-- Property Id. 1A321486002

Latitude 25.32493136130

Longitude 83.02209222490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,436.0** व सामान्य कर **818.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,152.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,345.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,345.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK ALI, ANWAR ALI, GULJAR ALI, REYAJ, NISAR SS/O SAGIR

पता A.32/64-Z-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7505527449

MIS Id. 07330052-- Property Id. 1A321487001

Latitude 25.32493665360

Longitude 83.02226460750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-Z-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400, C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	30,643.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	30,643.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,371.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAJEER ALI S/O LT. HANEEF

पता A.32/64-D-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7309941279

MIS Id. 07330050-- Property Id. 1A321491001

Latitude 25.32504638050

Longitude 83.02241830030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-D-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,624.0** व सामान्य कर **2,709.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3150,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	55,242.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	55,242.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,286.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI YAKINULLAH PESAR LATE NASIRULLAH

पता A.32/64-I Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8112773742

MIS Id. 07330049-- Property Id. 1A321492001

Latitude 25.32512428850

Longitude 83.02240642400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,354.0** व सामान्य कर **259.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 450,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,365.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,365.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,680.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IRFAN AHAMAD S/O FASIULLA

पता A.32/64-R Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330045C Property Id. 1A321495001

Latitude 25.32523519040

Longitude 83.02240081800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,728.0** व सामान्य कर **190.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,059.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,059.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,216.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAFA S/O HAZI MEHADI HASAN, ABDUL KAYUM S/O HAZI

पता A.32/64-L Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330045A Property Id. 1A321496001

Latitude 25.32523975880

Longitude 83.02223268990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,184.0** व सामान्य कर **1,120.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop, 2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 1250, C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	79,200.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	79,200.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,880.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BENI S/O LATE RAJARAM,PATALU S/O LATE RAJARAM

पता A.33/25-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9307110949

MIS Id. 07330072-- Property Id. 1A321497001

Latitude 25.32531137690

Longitude 83.02251578420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.33/25-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,602.0** व सामान्य कर **616.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANUAL HASAN,NURUL HASAN,JAMIL AHAMAD SS/O HAZI

पता A.32/64-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330045B Property Id. 1A321499001

Latitude 25.32534941340

Longitude 83.02233944410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,305.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,832.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,832.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,612.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAYYUM PESAR HAJI MOHD BASHIR

पता A.32/64-P Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330054A Property Id. 1A321500001

Latitude 25.32535670070

Longitude 83.02222280990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,400.0** व सामान्य कर **264.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,824.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,824.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,521.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNNISHA W/O HAJI AJIGULHASAN

पता A.32/81-E-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330015-- Property Id. 1A321503001

Latitude 25.32594011980

Longitude 83.02273552530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,285.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,285.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	471.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LESI VARANASI VIKAS PRADHIKARAN LESAR

पता A.32/81-E-5 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330044E Property Id. 1A321503002

Latitude 25.32594011980

Longitude 83.02273552530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,285.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,285.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	471.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAITUL HASAN,IRASAD HASAN,MUMTAJ AHAMAD ANUL HASAN SS/O

पता A.32/81-D-1-X Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9415204807

MIS Id. 07330007-- Property Id. 1A321505001

Latitude 25.32605977300

Longitude 83.02250917420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-D-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,990.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,990.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	659.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN, AZIZUL HASAN S/O JAINUL ABDIN S/O HAZI

पता A.32/81-D-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330005-- Property Id. 1A321507001

Latitude 25.32613705900

Longitude 83.02265029940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 995.0 व सामान्य कर 109.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,728.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,728.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	190.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAITUL HASAN ENUL HASAN IRSAD HASAN MUMTAZ AHAMD

पता A.32/81-D-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330008A Property Id. 1A321508001

Latitude 25.32619117100

Longitude 83.02266279480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-D-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,285.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,285.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	471.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MILAD HASAN S/O TAFIJUREHMAN

पता A.32/81-D Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320168A Property Id. 1A321509002

Latitude 25.32617871760

Longitude 83.02256414390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,552.0** व सामान्य कर **1,711.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2760,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,208.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,593.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,593.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,045.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUNNISA W/O LATE HAZI GULJAR, MOHD AHMAD. IKHALAK

पता A.32/81-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330003-- Property Id. 1A321511001

Latitude 25.32619180750

Longitude 83.02241984960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,649.0** व सामान्य कर **621.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,550.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0, C= 1550	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	75,888.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	75,888.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VDA LASER ABDUL SAHID

पता A.32/81-E-99 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330044B Property Id. 1A321512001

Latitude 25.32561831040

Longitude 83.02276888790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-99 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 930,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	744.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,285.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,285.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	471.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN, SAMASUDDIN, EKRAMUDDIN SS/P ABUL HASAN

पता A.32/82-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9838487750

MIS Id. 07330001A Property Id. 1A321513001

Latitude 25.32649333640

Longitude 83.02236381620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/82-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,227.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1425,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,140.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL SATTAR S/O MOHD.IBRAHIM

पता A.32/82 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330001C Property Id. 1A321513002

Latitude 25.32649333640

Longitude 83.02236381620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/82 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,040.0** व सामान्य कर **1,544.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,024.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3072,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,458.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOYAM HAJI ANISUREHMAN S/O ABDUL SATTAR

पता A.32/82-A- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330001D Property Id. 1A321513003

Latitude 25.32649333640

Longitude 83.02236381620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/82-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,040.0** व सामान्य कर **1,544.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,024.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3072,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,458.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MEHADI HASAN,HAZI MAKBUL HASAN,HAZI ABBAL HASAN S/O

पता A.32/81-A-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9757411000

MIS Id. 07330002-- Property Id. 1A321514001

Latitude 25.32632932760

Longitude 83.02240904450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **37,801.0** व सामान्य कर **4,158.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 10250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	8,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	47,232.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	47,232.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,196.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम haji md hanif s/o haji abdul sattar

पता A.32/82-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9305421064

MIS Id. 07330001B Property Id. 1A321515001

Latitude 25.32649148380

Longitude 83.02224626630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/82-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,649.0** व सामान्य कर **841.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2160,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,728.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,953.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,953.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,095.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Alaudhchin

पता A.32/81-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330001-- Property Id. 1A321516001

Latitude 25.32630602980

Longitude 83.02219558460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 350,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,082.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,082.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	339.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VDA LESSAR.MOHD.JUNAID KHAN S/O BADARUDOJA KHAN

पता A.32/81-E-31 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330024A Property Id. 1A321518003

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	483.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 383,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	306.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,504.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,504.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	275.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT ADHYASI RAMA DEVI

पता A.32/81-E-55 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330044-- Property Id. 1A321518004

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-55 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	483.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 393,C= 90	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	314.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,504.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,504.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	275.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LESI VDA LASER MOHD KALIM S/O LATE HAJI MOHD MUSA

पता A.32/81-E-22+23+28+29 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330021-- Property Id. 1A321518005

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-22+23+28+29 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,423.0** व सामान्य कर **597.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,354.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,354.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,129.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI ALTAF AHAMAD ANSARI

पता A.32/81-E-26 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330023-- Property Id. 1A321518006

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,159.0** व सामान्य कर **347.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	483.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 383,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	306.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,454.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,454.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	380.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMME SALMA D/O HAJI AJIJUL HASAN

पता A.32/81-E-45 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330033-- Property Id. 1A321518007

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-45 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 918,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	734.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,759.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,759.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	523.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI KALI MUNNISA S/O HAZI NURUL HASAN

पता A.32/81-E-50 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330038-- Property Id. 1A321518008

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-50 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 884,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	707.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,073.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,073.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	448.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI KHAIRUNNISA

पता A.32/81-E-35 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330030-- Property Id. 1A321518009

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-35 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AWANTI AJIMUDDIN

पता A.32/81-E-2 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330014-- Property Id. 1A321518012

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,454.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 850,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,406.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,406.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	485.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK RAMJAN ALI

पता A.32/81-E-12 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330018-- Property Id. 1A321518016

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,854.0** व सामान्य कर **204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 462,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	370.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,395.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,395.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	263.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOMAN ABDIN S/O HAZI JAINULBDIN

पता A.32/81-E-37 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330032-- Property Id. 1A321518025

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-37 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,832.0** व सामान्य कर **422.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 646,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	517.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,605.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,605.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	507.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT ADHYASI SMT. NURUNNISA W/O HAZI AJIJUL HASAN

पता A.32/81-E-57 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330033A Property Id. 1A321518026

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 918,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	734.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,759.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,759.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	523.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD. SALIM S/O LATE MD. SARIF AVANTI

पता A.32/81-E-46 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330034-- Property Id. 1A321518028

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI SAMRA BEGUM D/O LATE MOHD AMIL W/O DILSAD AHAMAD

पता A.32/81-E-47 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330035-- Property Id. 1A321518029

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHNSHAH S/O NAVAB LESI VIKASH PRADI KARAN LASER

पता A.32/81-E-54 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330042-- Property Id. 1A321518032

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-54 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT. SONA ANSARI W/O NISAR AHAMAD ANSARI

पता A.32/81-E-27 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330026A Property Id. 1A321518034

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,258.0** व सामान्य कर **468.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 646,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	517.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,116.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,116.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	563.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VARANSI BIKASH PRADHI KARAD .BATAUR LASAR MUKHATAR

पता A.32/81-E-56 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330043-- Property Id. 1A321518038

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VARANSI BIKASH PRADHIKARAN VARANASI .BATAUR LESI MOHD

पता A.32/81-E-49 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330037-- Property Id. 1A321518040

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-49 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MARIYAM GAYAS ANSARI D/O GAYASUDDIN ANSARI

पता A.32/81-E-25 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330012-- Property Id. 1A321518041

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD. MURTJA S/O HAZI MOHD

पता A.32/81-E-7 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330044A Property Id. 1A321518042

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 714,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	571.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	407.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI ABDUL MATIN ANSARI

पता A.32/81-E-24 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330024-- Property Id. 1A321518043

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT ADHYASI ABDUL HASAN

पता A.32/81-E-17 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330012A Property Id. 1A321518044

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **895.0** व सामान्य कर **98.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,120.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,120.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	123.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ATAHAR EJAJ S/O MAKBUL AALAM

पता A.32/81-E-34 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330027-- Property Id. 1A321518047

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-34 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,206.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,693.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,693.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	296.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI SANT LAL

पता A.32/81-E-36 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330029-- Property Id. 1A321518049

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-36 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABRAR AHMAD,IJHAR AHMAD SS/O HAJI MUKHTAR AHMAD

पता A.32/81-E-8 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330043A Property Id. 1A321518051

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 714,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	571.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	407.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.KHUDAIJA BIBI W/O NURUL HASAN

पता A.32/81-E-52 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330040-- Property Id. 1A321518052

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-52 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,948.0** व सामान्य कर **324.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 714,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	571.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	407.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVANTI BULLI RAM

पता A.32/81-E-38 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330031-- Property Id. 1A321518053

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-38 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LESI VARANASI VIKASH PRADHIKARAN LESAR HABIBUNNISA W/O

पता A.32/81-E-53 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330041-- Property Id. 1A321518054

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-53 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,180.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 782,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	626.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,054.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,054.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	446.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AHAMAD S/O HAZI MANJUR AHAMAD

पता A.32/81-E-48 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330036-- Property Id. 1A321518056

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT ADHYASI SHAMSHUL HODA S/O HAZI SULEMAN

पता A.32/81-E-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330013-- Property Id. 1A321518058

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 340,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,763.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,763.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	194.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT ADHYASISMT. SAKHIRA KHATUN W/O JAMIL AHAMAD

पता A.32/81-E-40 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330027A Property Id. 1A321518059

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-40 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,895.0** व सामान्य कर **208.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 476,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	381.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,468.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,468.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK GOPAL DAS

पता A.32/81-E-33 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330028-- Property Id. 1A321518060

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,638.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 324,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	259.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,680.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,680.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	185.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKILA BEGAM W/O LATE AJIJUL HAQ

पता A.32/81-E-42 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330030B Property Id. 1A321518061

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,858.0** व सामान्य कर **204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,638.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 324,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	259.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,866.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,866.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	205.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAMA HASAN W/O ABUL HASAN

पता A.32/81-E-67 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9696870999

MIS Id. 07330042B Property Id. 1A321518062

Latitude 25.32568042180

Longitude 83.02232840410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-E-67 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,358.0** व सामान्य कर **149.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	26,638.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 324,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	259.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,680.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,680.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	185.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAFA S/O LATE NASIRUDDIN

पता A.32/64-X-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330045E Property Id. 1A321519002

Latitude 25.32534798160

Longitude 83.02244083820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,636.0** व सामान्य कर **1,390.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2760,C= 120	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,208.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,593.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,593.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,045.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENUL HASAN & JAMIL AHAMAD NURUL HASAN SS/O HAJI NURUDDIN

पता A.32/64-K-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330045D Property Id. 1A321520001

Latitude 25.32534881400

Longitude 83.02239816140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/64-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,897.0** व सामान्य कर **649.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,550.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1406,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,125.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,479.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,479.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	713.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL S/O ABDDIN ANSARI S/O HAZI

पता A.32/81-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07330008-- Property Id. 1A321521001

Latitude 25.32607178600

Longitude 83.02240504120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/81-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,843.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,843.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	203.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O HAZI MATIULLA

पता A.32/114-G-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340765-- Property Id. 1A321522001

Latitude 25.32787179420

Longitude 83.02254723150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,380.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3500,C= 1750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,552.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,552.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,433.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mahmood,Habib

पता A.32/115-B-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320021-- Property Id. 1A321522002

Latitude 25.32787179420

Longitude 83.02254723150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,901.0** व सामान्य कर **209.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	492.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,991.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,991.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.BAJBUNISHA W/O MOINUDDIN D/O BADRUDDIN

पता A.32/115-A-6-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320024-- Property Id. 1A321524002

Latitude 25.32787187270

Longitude 83.02260389930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-A-6-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,966.0** व सामान्य कर **326.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	460.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	345.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O HAZI MOHAMMAD ISHA

पता A.32/114-D-4-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320063-- Property Id. 1A321525001

Latitude 25.32788460060

Longitude 83.02277452050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-D-4-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,659.0** व सामान्य कर **182.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	190.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHBJADI W/O LATE

पता A.32/115-D-5 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340764-- Property Id. 1A321528001

Latitude 25.32793785530

Longitude 83.02254322330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,536.0** व सामान्य कर **499.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,368.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,368.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,140.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IBRAHIM MOHD JAFAR SS/O GULAM WARISH

पता A.32/114-G-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320025-- Property Id. 1A321528002

Latitude 25.32793785530

Longitude 83.02254322330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-G-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,966.0** व सामान्य कर **326.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	324.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,986.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,986.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	328.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZULEKHA BIBI W/O MOHAMMAD

पता A.32/114-G-1-K- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340765A Property Id. 1A321529001

Latitude 25.32793920260

Longitude 83.02260414050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-G-1-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,772.0** व सामान्य कर **415.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AYUB S/O LATE TAJ MOHD.

पता A.32/116-G-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340767A Property Id. 1A321530002

Latitude 25.32791170830

Longitude 83.02269647120

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/116-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,577.0** व सामान्य कर **723.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,822.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1612,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,290.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,428.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,428.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	817.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMULLA S/O LATE HAZI BECHU

पता A.32/115-D-3-V-K-X-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340763-- Property Id. 1A321531001

Latitude 25.32798071270

Longitude 83.02241604570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-V-K-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,495.0** व सामान्य कर **274.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,926.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,926.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	872.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISSA W/O NIYAMATULLAH

पता A.32/115-D-3-C-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320017A Property Id. 1A321533001

Latitude 25.32799443990

Longitude 83.02228726940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2448,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,690.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,690.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,396.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O RAMJAN ALI

पता A.32/115-D-3-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320017A Property Id. 1A321540002

Latitude 25.32806531930

Longitude 83.02240420610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,544.0** व सामान्य कर **500.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	483.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGRA BIBI W/O GAFUR,SAMSUDDIN,MOHD

पता A.32/115-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320015-- Property Id. 1A321543001

Latitude 25.32816648010

Longitude 83.02207028290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,676.0** व सामान्य कर **294.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,776.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,776.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	855.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL RAHMAN SS/O RAHAMTULLAH

पता A.32/115-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320015A Property Id. 1A321543002

Latitude 25.32816648010

Longitude 83.02207028290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,382.0** व सामान्य कर **152.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 308,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	246.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,597.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,597.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	176.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN S/O HAJI ABDUL HASAN

पता A.32/115-D-3-N Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9120556316

MIS Id. 07320008A Property Id. 1A321546001

Latitude 25.32813408720

Longitude 83.02251279640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,592.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2448,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,690.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,690.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,396.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BABU ALIES CHUNNU,MUNNA SS/O LATE BISMILLA,KHUSHBUNNISA

पता A.32/114-G-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340754-- Property Id. 1A321547001

Latitude 25.32813198500

Longitude 83.02268410710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/114-G-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,281.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,260.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,147.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,147.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	456.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIUEHAMN S/O LAL MOHD

पता A.32/115-D-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340759-- Property Id. 1A321556001

Latitude 25.32823727160

Longitude 83.02243750730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,951.0** व सामान्य कर **985.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1350,C= 1350	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	72,317.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	72,317.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,848.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIURMAN S/O RAMJAN ALI

पता A.32/115-D-3-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340752-- Property Id. 1A321556002

Latitude 25.32823727160

Longitude 83.02243750730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,609.0** व सामान्य कर **617.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,201.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1404,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,123.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,470.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,470.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	712.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALIULLA S/O AKBAR ALI

पता A.32/115-H-1-G Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340786-- Property Id. 1A321557001

Latitude 25.32824906470

Longitude 83.02280657200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-H-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,901.0** व सामान्य कर **869.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,150.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 3150,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,330.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,330.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,796.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN S/O AKBAR ALI

पता A.32/115-H-1-KH Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340787-- Property Id. 1A321558001

Latitude 25.32828407320

Longitude 83.02289205270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-H-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,112.0** व सामान्य कर **452.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSHBUNNISA W/O MUSTAK AHMAD

पता A.32/115-H-1-KH- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9413206810

MIS Id. 07320075B Property Id. 1A321558002

Latitude 25.32828407320

Longitude 83.02289205270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-H-1-KH- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,843.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	213.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALMA BIBI W/O NIJAMUDDIN

पता A.32/115-3-A-E-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07340750-- Property Id. 1A321559001

Latitude 25.32831549710

Longitude 83.02236562610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-3-A-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,722.0** व सामान्य कर **299.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	416.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,470.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,470.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	712.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAILUNISSA W/O LATE AMIRUDDIN MOHD VAIS IKBAL AHAMAD

पता A.32/23-A-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260008A Property Id. 1A321441002

Latitude 25.32426346840

Longitude 83.02065655630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/23-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,368.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,368.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,140.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL KAYYUM ABDUL RASHED S/O BARKATULLAH

पता A.32/67-A-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320343A Property Id. 1A320175002

Latitude 25.32537053320

Longitude 83.02179866260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/67-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,147.0** व सामान्य कर **456.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,530.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,530.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	608.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDURRAHMAN S/O LATE HAJI HIFAJTULLA

पता A.32/217-A-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335499036

MIS Id. 07320364A Property Id. 1A320187007

Latitude 25.32543505280

Longitude 83.02157849110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/217-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,455.0** व सामान्य कर **270.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	570.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSAR AHMAD,HUMAIRA BIBI,RAJIYA BIBI,JAHIRA

पता A.32/65-B-1-K Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7372335421

MIS Id. 07320354A Property Id. 1A320193002

Latitude 25.32549611410

Longitude 83.02168846420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/65-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,226.0** व सामान्य कर **355.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,912.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,912.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	760.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSHBUNNISA W/O AINUL HODA

पता A.32/8-KH-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260039C Property Id. 1A320206002

Latitude 25.32555941140

Longitude 83.02062858320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/8-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **562.0** व सामान्य कर **62.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	80.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	63.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MURSALIN,IJHAR AHMAD,MOHD.SHAHID SS/O HAJI

पता A.32/10-M-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260040B Property Id. 1A320250003

Latitude 25.32576995660

Longitude 83.02063874600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/10-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	230.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 230,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	184.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,325.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,325.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	146.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENUL HODA ABDUL ALI PESRAN LATE ABDUL LATIF MD SALIMN

पता A.32/210-R Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9839834112

MIS Id. 07320199A Property Id. 1A320258007

Latitude 25.32581678640

Longitude 83.02156205830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/210-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,116.0** व सामान्य कर **343.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,028.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SESH NAM KE SATH NURJAHAN BIBI JAUJEY EKBAL AHAMD EKHLAK

पता A.32/191-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320381B Property Id. 1A320300007

Latitude 25.32614101410

Longitude 83.02136812060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/191-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,764.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,672.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,672.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,394.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHMAD S/O MUNIRUDDIN

पता A.32/191-X-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320225A Property Id. 1A320305002

Latitude 25.32614253660

Longitude 83.02124702850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/191-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,368.0** व सामान्य कर **1,140.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Other	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,622.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,622.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,478.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABRUNNISA W/O LATE KAMRUDDIN, EKHLAK AHMAD, SHAHID

पता A.32/147-C-S Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6306913593

MIS Id. 07320234A Property Id. 1A320321004

Latitude 25.32632680710

Longitude 83.02111412210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/147-C-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,376.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 420, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,419.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,419.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	266.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASIN AHMAD,NASIM AHMAD,AAFTAB AHMAD,MEHTAB

पता A.32/106-C-P Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9151216733

MIS Id. 07320151B Property Id. 1A320364002

Latitude 25.32661435920

Longitude 83.02233475040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-C-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1564,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,251.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,009.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,009.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	991.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O JALALUDDIN

पता A.32/106-C-1-R Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7499124457

MIS Id. 07170048A Property Id. 1A320372003

Latitude 25.32660850480

Longitude 83.02261946350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-C-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,764.0** व सामान्य कर **194.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	308.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 308,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	246.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,774.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,774.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	195.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI ABDUL AIJI ABDUL MAJID ENUL HODA SS/O HAJI MATIULLAH

पता A.32/106-E-A-M Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 988929523

MIS Id. 07320157B Property Id. 1A320393002

Latitude 25.32697226910

Longitude 83.02220687540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/106-E-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,606.0** व सामान्य कर **397.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	825.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Other Commercial Buildings	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 525,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	420.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,232.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,232.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,236.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARE AALAM S/O GULAM NAVI

पता A.32/115-G-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320086A Property Id. 1A320419004

Latitude 25.32721524040

Longitude 83.02209584290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-G-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,843.0** व सामान्य कर **203.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 210,C= 210	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	168.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,250.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,250.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,238.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMID AJIJULLAH NULLUDDIN

पता A.32/115-H-1- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320074B Property Id. 1A320424003

Latitude 25.32720273230

Longitude 83.02247623670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-H-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,059.0** व सामान्य कर **1,216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	64,282.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	64,282.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,642.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.DAUD S/O MOHD.SALIM

पता A.32/120-R Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320046A Property Id. 1A320446002

Latitude 25.32744740150

Longitude 83.02143758870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,974.0** व सामान्य कर **437.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	830.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1716,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,373.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,884.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,884.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,087.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUNNISHA W/O LATE SALAMTULLA, LAILUNNISHA W/O BASHIR

पता A.32/111-A-1-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7880455284

MIS Id. 07320099B Property Id. 1A320453002

Latitude 25.32746345740

Longitude 83.02190719200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/111-A-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,832.0** व सामान्य कर **202.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,843.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,843.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	203.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHAMAN S/O MOHD. YASIN

पता A.32/120-B-2-A-A Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320039A Property Id. 1A320475004

Latitude 25.32778799430

Longitude 83.02167628470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B-2-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,728.0** व सामान्य कर **190.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	570.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDOJA S/O HABIB ALAM, HUSNA BIBI W/O BADRUDDOJA

पता A.32/120-B-1-A-H-Z Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8887934494

MIS Id. 07320038D Property Id. 1A320485002

Latitude 25.32804071240

Longitude 83.02183236970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/120-B-1-A-H-Z के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,456.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 850, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,896.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,896.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	539.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम OBAIDULLAH S/O MAULVI MD OMAR

पता A.32/14-A-O- Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260025A Property Id. 1A321389005

Latitude 25.32428034190

Longitude 83.02168468590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/14-A-O- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,657.0** व सामान्य कर **182.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,629.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,991.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,991.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILUNISSA W/O LATE MAKBOOL HASAN

पता A.32/7-C Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07260043A Property Id. 1A321437002

Latitude 25.32393432070

Longitude 83.02109465020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/7-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 440,C= 440	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	352.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,570.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,570.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,593.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD KHALIL BADRUDDIN MOHD MUSA

पता A.32/6 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320048B Property Id. 1A321438003

Latitude 25.32399134370

Longitude 83.02111908570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,554.0** व सामान्य कर **1,051.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,306.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,306.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,464.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILUNISSA W/O LATE ENUL HASAN MOHD ARIF MOHD MURSLIN

पता A.32/122-C-3 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07310214A Property Id. 1A321471002

Latitude 25.32747057170

Longitude 83.02131468270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/122-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,048.0** व सामान्य कर **665.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,824.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,824.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,521.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL MOHDMAD S/O RAM JAN ALI

पता A.32/115-D-3-S-B Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07320017C Property Id. 1A321551002

Latitude 25.32817151550

Longitude 83.02234986190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-D-3-S-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,916.0** व सामान्य कर **431.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,221.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,221.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	684.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNAVVAR ALI S/O ANVAR ALI

पता A.32/115-3-A-D-1 Chhittanpura

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9115288077

MIS Id. 07340763A Property Id. 1A321559002

Latitude 25.32831549710

Longitude 83.02236562610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.32/115-3-A-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,838.0** व सामान्य कर **532.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	0.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.80	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,014.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय